



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2016/भाद्र 4, 1938

No. 590]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2016/BHADRA 4, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 824(अ).—जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, (1958 का 44), की धारा 175 की उप धारा (1) द्वारा यथापेक्षित वाणिज्य पोत परिवहन (सी फेयरर आवासन) नियम, 2016 का प्रारूप सा.का.नि. 346(अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 28 मार्च, 2016 को उपलब्ध करवा दी गई थीं,

और एक आपत्ति और सुझाव प्राप्त हुआ हैं तथा उक्त प्रारूप पर विचार कर लिया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 457 के साथ पठित धारा 175 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सी फेयरर आवासन) नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, मछली पकड़ने के क्रियाकलापों में लगे हुए, परम्परागत रूप से निर्मित पोत जैसे कि ढो, जंग और युद्ध या नौसैनिक सहायक पोत के सिवाय, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (1958 का 44) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जाने हेतु इस प्रकार अपेक्षित प्रत्येक पोत को लागू होंगे।

परंतु इन नियमों के अधीन अपेक्षाएं जो पोत सन्निर्माण और उपस्कर से संबंधित है, ऐसे पोतों की दशा में जिसकी कील इन नियमों के प्रवृत्तन से पहले बना दी गई थी या सन्निर्माण की समान अवस्था में थी को लागू नहीं होगी।

परंतु यह और कि ऐसे पोत इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले तुरंत यथा प्रवृत्त वाणिज्य पोत परिवहन (कू आवास) नियम, 1960 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

परंतु यह भी कि इन नियमों के उपबंध किन्हीं राज्यक्षेत्रीय जल में समुद्री यात्रा पर चलने वाले पोतों को जिसके सी फेयररों द्वारा रात भर आठ घंटों से अधिक अवधि के लिए पोत पर ठहरने की अपेक्षा नहीं की जाती, लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण 1.- एक पोत उन तारीख को सन्निर्मित किया गया समझा जाएगा जब उसकी कील बनाई गई थी या जब वह सन्निर्माण की समान अवस्था में थी ।

स्पष्टीकरण 2.- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए सन्निर्माण की समान अवस्था से ऐसी अवस्था अभिप्रेत है जिस पर पोत के पूर्ण जोड़ने का कार्य कम से कम पचास टन या सभी ढांचागत सामग्रियों के प्राकृतिक द्रव्यमान का एक प्रतिशत इसमें जो भी कम हो, द्रव्यमान के समावेश से प्रारम्भ हो चुका है ।

2. (1) परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है ;

(ख) “अनुमोदित” से महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत अभिप्रेत है ;

(ग) “महानिदेशालय” से महानिदेशक का कार्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा महानिदेशक की ओर से कार्य करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति अथवा निकाय अभिप्रेत है ;

(घ) “सकल टनभार” से वाणिज्य पोत परिवहन (पोत का टन भार माप) नियम, 1987 के अनुसार अवधारित पोत के समग्र आकार का माप अभिप्रेत है ;

(ङ.) “वाणिज्य पोत परिवहन सूचना” से निदेशालय द्वारा इस प्रकार वर्णित और जारी सूचना अभिप्रेत है ;

(च) “नया पोत” से इन नियमों के प्रवृत्तन में आने पर या उसके पश्चात् सन्निर्मित पोत अभिप्रेत है ;

(छ) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबंध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) “पोत स्वामी” से पोत का स्वामी या व्यक्तियों का निकाय अथवा कोई व्यक्ति जैसे कि प्रबंधक, अभिकर्ता या खाली नाव यार्ड पर लेने वाला जो ऐसे स्वामी से पोत के प्रचालन के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण कर चुका है और ऐसे उत्तरदायित्व को ग्रहण करने पर जो इन नियमों के अनुसार ऐसे स्वामी पर अधिरोपित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को लेने के लिए सहमत हो चुके हैं, इस पर विचार किए बिना कि कोई अन्य व्यक्तियों का निकाय या व्यक्ति पोत के स्वामी की ओर से कतिपय कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं, अभिप्रेत है ;

(झ) “विशेष प्रयोजनार्थ पोत” से विशेष प्रयोजनार्थ पोत कोड (विशेष प्रयोजनार्थ पोत, 1983 और उसके पश्चातवर्ती पाठ को सुरक्षा का आई एम ओ कोड) के अनुपालन में सन्निर्मित पोत अभिप्रेत है ;

(ञ) “सर्वेक्षक” से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक अभिप्रेत है ;

(ट) “ट्रकड यांत्रिक संवातन प्रणाली” से दूसरी अनुसूची में उपवर्णित विनिर्देशों के अनुपालन में संवातन प्रणाली अभिप्रेत है ।

(ठ) “धुलाई आवासन” में शयन कक्ष या चिकित्सा वार्ड, चाहे जिसमें धावन कुंड, स्नान या फुहाही दिया गया हो या नहीं अथवा अन्य कक्ष जो केवल धोबी खाने के रूप में प्रयोग के लिए समुचित हैं, सम्मिलित नहीं होंगे ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में हैं ।

3. कोई संरचना इन नियमों के प्रयोजनार्थ जलरोधी, गैसरोधी या तेलरोधी नहीं समझी जाएगी जब तक संवातन द्वार से भिन्न संरचना के सभी द्वार स्वच्छता आवासन, धोबी खाने, शोषक कक्ष या रसोईघर के गमन रास्ते से वायु के प्रवेश के लिए आवश्यक हैं जो संचरण के साधनों के साथ दी गई हैं जो ऐसे द्वार को जलरोधी, गैसरोधी या तेलरोधी जैसा भी मामला हो, बनाने में समर्थ करेगी ।

4. सी फेयरर आवासन .- प्रत्येक पोत प्रथम अनुसूची के अधीन उपबंधों के अनुसार सी फेयरर के स्वास्थ्य और कल्याण की प्रोन्नति से संगत सी फेयररों के पोत पर कार्य करने या रहने के लिए न्यूनतम उचित आवासन और मनोरंजनात्मक सुविधाएं प्रदान और अनुरक्षित करेगा ।

5. रेखांक.— (1) प्रत्येक भारतीय पोत का पोत-स्वामी जिस पर ये नियम लागू होते हैं महानिदेशालय या इस बाबत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय के अनुमोदन के लिए पोत के रेखांक प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपयुक्त पैमाने पर बनाये गए रेखांक, पोत पर सी फेयरर आवासन व्यवस्था, अन्य जगह, सन्निर्माण के व्यौरे, विभिन्न विमाओं, फर्नीचर, फिक्स्चर और इसमें प्रदत्त सुख-सुविधाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे ।

(3) सी फेयरर आवासन में कोई एकान्तरण या पुनः सन्निर्माण करने से पहले, भारतीय पोत का स्वामी पोतस्वामी इस संबंध में महानिदेशालय या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय को सी फेयरर आवासन के संबंध में प्रस्तावित एकान्तरण या पुनः

सन्निर्माण दर्शित करने वाला रेखांक, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा और पोत का सी फेयरर आवासन निदेशालय या व्यक्तियों के ऐसे निकाय द्वारा अनुमोदित किए गए रेखांक के अनुपालन में होगा।

6. प्रमाणन और सत्यापन.- (1) यह समाधान होने पर कि भारतीय पोत इन नियमों के अनुसरण में सी फेयरर आवासन प्रदान करता है, निदेशालय या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे पोत को पांचवी अनुसूची में उपबंधित प्रपत्र में “अनुपालन का अभिलेख” जारी कर सकेगा।

(2) इन नियमों के अनुसार पोत पर सी फेयरर आवासन सुख-सुविधाएं और उनका अनुरक्षण, समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा से सहयुक्त, आरम्भिक, मध्यवर्ती, नवीकरण और अतिरिक्ति सर्वेक्षण के दौरान सत्यापित की जाएगी।

(3) भारतीय पोत का सी फेयरर आवासन सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा।

7. भारतीय पोतों से भिन्न पोतों पर समुद्रीय श्रम अभिसमय, 2006 से सुसंगत उपबंधों का लागू होना.- भारतीय पोत से भिन्न पोत, का सर्वेक्षक द्वारा जब ऐसा पोत भारत में किसी पतन, लंगर स्थान का अपतट टर्मिनल पर है तो यह अवधारित करने के लिए कि पोत समुद्रीय श्रम अभिसमय, 2006 के सुसंगत उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, का निरीक्षण किया जा सकेगा और ऐसे अभिसमय के अनुसरण में नियंत्रण उपाय कर सकेगा।

8. समतुल्य व्यवस्थाएं.- महा निदेशक पोत पर समतुल्य व्यवस्थाएं या इन नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से विचलन, स्वीकार कर सकेगा जब ऐसे विचलन सी फेयरर के जीवन की परिस्थितियां, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के अध्ययधीन रहते हुए स्पष्ट रूप से न्यायोजित हो। महानिदेशक ऐसे विचलन या समतुल्य व्यवस्था के संबंध में समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

1. आवासन हेतु साधारण अपेक्षाएं :- (1) समुद्रकर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, संरक्षण और दुर्घटना से बचाव, खतरनाक स्तर वाली ध्वनि और कंपन का सामना होने का जोखिम और अन्य पोतस्थ वातावरण के घटकों और रसायनों से होने वाले जोखिम की रोकथाम के संबंध में इन नियमों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आवासन, मनोरंजनात्मक और खानपान सुविधाएं डिज़ाइन की जाएंगी। आवासन का निर्माण और आवासन की व्यवस्था इस प्रकार की होगी जिससे कि समुद्रकर्मियों को कार्य करने हेतु तथा पोत पर रहने के लिए स्वीकार्य वातावरण मिल सके।

(2) समस्त पेनलिन, इन्सूलेशन, फ्लोरिंग और भीतरी छत न जलने वाली तथा अनुमोदित प्रकार की सामग्री के होंगे।

(3) सीफेयरर आवासन में किसी भी प्रयोजन से एस्बस्टस या ऐसी सामग्रियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जिनमें एस्बस्टस समाविष्ट हो।

(4) आवासन पर्याप्त रूप से इन्सूलेटेड होगा।

(5) सीफेयरर आवासन क्षेत्रों में उचित रोशनी और पर्याप्त ड्रेनेज़ उपलब्ध करवाया जाएगा।

(6) सीफेयरर आवासन में पेंट, वार्निश और अंदरूनी सतहों पर प्रयुक्त फिनिशें अनुमोदित प्रकार की होंगी और ऐसी नहीं होंगी कि इनसे अत्यधिक मात्रा में धुआँ और विषैले पदार्थ निकलें।

(7) सीफेयरर आवासन की स्थिति- (क) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन के पोतों (एसपीएस) को छोड़कर शयनकक्ष पोतों की भार रेखा के बीच भाररेखा के ऊपर या पीछे स्थित होंगे, अपवादजनक मामलों को छोड़कर, जहाँ पोत के आकार-प्रकार या अभीष्ट सेवा के कारण कोई अन्य स्थान अव्यवहारिक हो तो शयनकक्ष पोत के अगले भाग में स्थित होंगे लेकिन ये किसी भी स्थिति में भीड़न्त बल्क हेड के आगे नहीं होंगे।

(ख) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन के पोतों (एसपीएस) में महानिदेशक इस शर्त पर की रोशनी और संवातन की संतोषजनक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं तो वह भार रेखा के नीचे शयनकक्षों की जगह अनुमत कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ये वर्किंग अलीबेज़ के ठीक नीचे स्थित नहीं होंगे।

(ग) सभी समुद्रकर्मियों आवासों में पर्याप्त हेडरूम होगा; जिन समुद्रकर्मियों आवासों में पूरी तरह से मुक्त रूप में आना-जाना आवश्यक है वहाँ न्यूनतम अनुमत हेडरूम 203 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। महानिदेशक, इसे कम करने हेतु जहाँ संतुष्ट हों वहाँ ऐसे आवासन में किसी जगह या जगह के भाग में हेडरूम को सीमित रूप से घटाने की अनुमति दे सकता है यदि-

(i) युक्तिपूर्ण हो;

(ii) इसकी वजह से समुद्रकर्मियों को तकलीफ न हो।

(8) बल्क हेडों और पैनलिन का निर्माण:- (क) शयनकक्षों और भोजन कक्षों के बाहरी बल्कहेड पर्याप्त रूप से इन्सूलेटेड होंगे। रसोई तथा अन्य जगहों के सभी मशीनरी केशिंग और सभी बाउंड्री बल्कहेड जिनमें से की गर्मी निकलती है वे पर्याप्त रूप से वहां इन्सूलेटेड होंगे जहां इस बात की संभावना हो कि इनसे निकलने गर्मी का असर पास के आवासन या आने-जाने के रास्ते पर होगा। भाप और गर्म पानी ले जाने वाली पाइपों की गर्मी से पड़ने वाले असर से बचाव के उपाय भी किए जाएंगे।

(ख) आवासन स्थान में शयनकक्ष, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष और अलीबेज़ पर्याप्त रूप से इन्सूलेटेड होंगे ताकि इनमें न तो धुन्ध छाए और न ही ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएं।

(ग) बल्कहेड सतहें और डैकहेड ऐसी सामग्री के होंगे जिनकी सतह को आसानी से साफ किया जा सकता हो। इस प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा जिनकी वजह से सुड़िया लगने की संभावना हो।

(घ) शयनकक्षों और भोजन कक्षों में बल्कहेड सतहें और डैकहेड ऐसे होंगे कि इन्हें आसानी से साफ किया जा सके और इनका रंग हल्का होगा साथ ही लंबे समय तक चलने वाली विषहीन फिनिश होगी।

(ङ) सभी समुद्रकर्मियों आवासों के डैक अनुमोदित सामग्री और यथा अनुमोदित रूप से निर्मित किए जाएंगे और इनकी सतह फिसलन वाली नहीं होगी तथा सतह नमी को नहीं सोखेगी।

(च) इनमें फर्श संघटित सामग्रियों के बने होंगे, उनके जोड़ों को दोनों ओर से घिसा गया होगा ताकि इनमें कोई दरार न रहे।

(छ) आंतरिक बल्कहेडो, पेनलिंग और सीटिंग, फर्शों और जोड़ों का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त सामग्रियां इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त होंगी और इस प्रकार की होंगी कि इनसे स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित हो।

(ज) ये नियम जिस किसी पोत पर लागू होते हैं उसके सीफेयरर आवासन से सटे या इसके किसी भाग में लगे सभी बल्कहेडों को स्टील या उपयुक्त सामग्री से उचित रूप से निर्मित किया गया होगा। यदि बल्कहेडों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है तो ये जलरोधी तथा गैसरोधी प्रकार से निर्मित किए जाएंगे और इस तरह के बल्कहेडों के सभी छेदों को बंद करने का तरीका उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि इन्हें मौसमरोधी बनाया जा सके।

(झ) कार्गो स्थानों या मशीनरी स्थानों या रसोईघरों, भंडार कक्षों, ड्राइंग रूप या कम्यूनल सेनेटरी स्थानों से शयनकक्षों में सीधे कोई भी छिद्र नहीं खुलेंगे। शयनकक्षों से ऐसे स्थानों को अलग करने वाले बल्कहेड का भाग और बाहरी बल्कहेड कुशलतापूर्वक स्टील या अन्य अनुमोदित पदार्थ से निर्मित तथा जलरोधी एवं गैसरोधी होंगे।

(9) मौसम आदि से संरक्षण- (क) खुले डैक से किसी भी समय सीफेयरर आवासन में आया जा सकेगा।

(ख) सीफेयरर आवासन के किसी भाग से होकर गुजरने वाली वे चैन पाइपें और वेंटीलेटर ट्रंक कार्गो स्थानों या टैंकों को जाते हों वे स्टील या अन्य उपयुक्त सामग्री के बने होंगे तथा गैसरोधी होंगे।

(ग) पोत की रेडियो संस्थापना को चलाए जाने के लिए या अन्य प्रयोजनों हेतु बैटरियां समुद्रकर्मियों को उपलब्ध कराए गए किसी शयनकक्ष में नहीं रखी जाएंगी और सावधानियां बरती जाएंगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि सीफेयरर आवासन के किसी भाग में इन बैटरियों से कोई फ्यूम नहीं उठेगा।

(घ) सीफेयरर आवासन का कोई ऐसा भाग जो टैंक से सटा हो (क्राउन के अलावा) जिसमें बल्क में तेल ले जाया जा रहा हो उसे गैसरोधी स्टील विभाजन द्वारा अलग करने के साथ-साथ जिस स्थान पर तेल है उसे भी विभक्त कर दिया जाएगा।

(ङ) यदि किसी सीफेयरर आवासन का भाग ऐसे डैक पर है जो कि उस जगह का क्राउन है जिसमें बल्क में तेल ले जाया जा रहा हो ऐसा डैक ऑयल टाइट होगा। सीफेयरर आवासन में स्थित तेल टैंकों में मेनहॉल या अन्य प्रकार के छेद नहीं होंगे।

(च) सीफेयरर आवासन के हर भाग में घुसने और निकलने के साधन इस प्रकार से स्थित होंगे कि पोत के किसी लैम्प रूम या पेंट रूम में आग लगने पर सीफेयरर आवासन में घुसने और निकलने के संबंध में कोई बाधा नहीं आए।

(10) ड्रेनेज़- (क) जिस किसी पोत पर ये नियम लागू होते हैं खुले डैक पर सीफेयरर आवासन के हर भाग में कुशलतापूर्ण ड्रेनेज़ उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां कहीं समुद्र से आए पानी को निकालने के लिए इस ड्रेनेज़ की आवश्यकता होगी।

(ख) सीफेयरर आवासन के आवासन स्वच्छता भाग में किसी स्रोत से (स्वच्छता आवासन के अलावा) ड्रेनेज़ नहीं आएगा।

(11) मार्किंग- (क) पोत के सीफेयरर आवासन के हर भाग को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मार्किंग से कक्ष के भीतर निशान लगाया जाएगा।

(ख) पोत के सीफेयरर आवासन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां ये नियम लागू न होते हों, उसे भीतर और बाहर से किसी निशान से चिह्नित किया जाएगा जो यह निर्दिष्ट करेगा कि वह स्थान उन व्यक्तियों की दी गई संख्या से भिन्न है जिनके प्रयोग के लिए सर्वेक्षक द्वारा यह स्थान प्रमाणित किया गया है।

(12) पेयजल – (क) जिस किसी पोत पर ये नियम लागू होते हैं उस पर पोतस्थ व्यक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए समुचित गुणवत्ता वाला पेयजल सीफेयरर आवासन में सदा उपलब्ध करवाया जाएगा। शीतल पेयजल का प्रावधान गैली और पेंट्री और भोजन कक्षों में किया जाएगा।

(ख) जहां समुद्रकर्मि निगरानी के काम में लगे होते हैं उसके करीब शीतल पेयजल की उपलब्धता हेतु उपबंध भी किया जाएगा।

(ग) पेयजल हेतु भंडारण, इसे भरने और वितरण व्यवस्थाएं इस तरह से होंगी कि इसमें किसी भी प्रकार से कुछ मिलाए जाने की संभावना न रहे। कॉफरडैम जैसी सूखी जगह पेयजल टैंकों और तेल टैंकों और सीवेज टैंकों जैसी जगहों के बीच उपलब्ध करवाए जाएंगे। पेयजल टैंकों में उस प्रकार की पाइपिंग के अलावा कोई अन्य पाइपिंग नहीं होगी जो कि पेयजल को लाने और वितरण किए जाने के लिए आवश्यक हो। एअर, फिलिंग और साउंडिंग पाइपें डैक से पर्याप्त ऊपर होंगी।

(2) वातायन, वातानुकूलन और हिटिंग (1) (क) शयनकक्ष और भोजन कक्ष में पर्याप्त रूप से हवादार होंगे।

(ख) उन पोतों को छोड़कर जो नियमित रूप से सम वातावरण वाली स्थितियों में अपना कार्य व्यापार करते हैं उनमें इसकी आवश्यकता नहीं होती, उसके सीफेयरर आवासन में वातानुकूलन लगा होगा जो कि अलग से रेडियो कक्ष और हर केन्द्रीकृत मशीनरी नियंत्रणकक्ष के लिए होगा। ट्रंक वाले मैकेनिकल वातायन होने की स्थिति में इस अपेक्षा से 200 सकल टन वाले पोतों को छूट है।

(ग) सभी स्वच्छता स्थानों का वातायन खुली हवा में होगा जो कि आवासन के किसी हिस्से से जुड़ा नहीं होगा।

(घ) शयनकक्षों और भोजनकक्षों की वातायन प्रणाली को इस तरह से नियंत्रित किया जाएगा जिससे कि संतोषजनक रूप से हवा बनी रहे और हर मौसम तथा ऋतु में कुशलतापूर्वक हवा की आवाजाही सुनिश्चित हो।

(ङ) वातानुकूलन प्रणालियां चाहे वह केन्द्रीकृत हो या वह एकल प्रकार की ईकाई हो उसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया होगा –

(i) बाहर की हवा की तुलना में यहां की हवा का तापमान और संगत आर्द्रता संतोषजनक हो जिससे सभी वातानुकूलित स्थानों में कुशलता के साथ वायु परिवर्तन सुनिश्चित किए जा सकें, समुद्र में प्रचालनों की विशेष बातों को ख्याल में रखा जाए और अत्यधिक ध्वनियां या कंपन न हो;

(ii) बीमारियों को रोकने या इन पर काबू पाने के लिए ये आसानी से साफ और निःसक्रामित हो सकें।

(च) इस अनुसूची के गत परिच्छेदों द्वारा अपेक्षित वातानुकूलन तथा वातायन के लिए अन्य उपस्करों के प्रचालनार्थ उस समय सदैव पॉवर उपलब्ध रहे जब पोत पर समुद्रकर्मि रह रहे हों या कार्य कर रहे हों तथा जब ऐसी स्थितियां हो जिनमें ऐसी अपेक्षा हो। तथापि, यह पॉवर किसी आपातकालिक स्रोत से उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(छ) वे पोत जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों के बाहर ही व्यापार के कार्य में लगे हैं उन पर ऐसी वातायन प्रणाली लगी होगी जिससे समुद्रकर्मियों के स्वास्थ्य और आराम के लिए पर्याप्त शुद्धता की स्थिति में वायु बनी रहेगी। ऐसी प्रणाली इस तरह से नियंत्रित होने की वजह से इतनी सक्षम होगी कि इससे मौसम और जलवायु की हर स्थिति में वायु की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित हो, जहां कि अपनी यात्राओं के दौरान इस पोत की जाने की संभावना हो और हवा आने जाने के लिए हर साइडस्कटल, स्काई लाइट, कंपेनियन, डोर या अन्य ऐसे अपचरों के अलावा होगी जो कि मात्र वातायन के लिए नहीं हैं।

(ज) पोत पर उपलब्ध करवाई गई ट्रंक वाली मैकेनिकल प्रणाली द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

(झ) पोत के सीफेयरर आवासन से सटे इसके किसी भाग, जो जगह पूरी तरह से वातानुकूलित न हो या ट्रंक वाली मैकेनिकल वातायन प्रणाली से वातायनयुक्त न हो वहां वायु की आवाजाही के लिए प्राकृतिक प्राणाली उपलब्ध कराई जाएगी।

(ञ) जो पोत पूरी तरह से वातानुकूलित नहीं हैं उस पोत के सीफेयरर आवासन के हर एक शयनकक्ष, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, कार्यालय, गैली और पेंट्री में बिजली के पंखे लगे होंगे।

(2) वातानुकूलन प्रणाली चाहे केन्द्रीकृत प्रकार की हो या एकल प्रकार की यूनिट हो उसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया हो कि :-

(i) 70 प्रतिशत संगत आर्द्रता के साथ वातावरण का तापमान जब 35 डिग्री सेल्सियस हो तब 50 प्रतिशत संगत आर्द्रता के साथ 28 डिग्री के संतोषजनक तापमान पर वायु को बनाया जा सके।

(ii) हर भोजन कक्ष या मनोरंजन कक्ष में हर घंटे में 8 बार हवा का बदला जाना और किसी अन्य कक्ष में हवा का 6 बार बदला जाना सुनिश्चित हो, फिर से संचरित की गई हवा की मात्रा समुद्र में रहते किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक न हो

(iii) समुद्र प्रचालनों की विशेष बातों को दृष्टिगत रखा जाए ताकि आपत्तिजनक ध्वनियों या कंपनों से बचा जा सके;

- (iv) बीमारियों की रोकथाम करने और इनके फैलने पर काबू पाने के लिए आसानी से इनकी सफाई की जा सके और इन्हें निःसक्रामित किया जा सके।

(3) (क) समुचित हिटिंग के प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त गर्मी उन पोतों छोड़कर उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि उष्ण कटिबंधीय वातावरण में यात्राएं करते हैं।

(ख) इन नियमों के अंतर्गत जब अपेक्षित हो तब सीफेयरर आवासन की हिटिंग प्रणाली तब सदैव चलाई जाएगी जब पोत पर समुद्रकर्मि रह रहे हों या कार्य कर रहें हो और ऐसी स्थितियों में इसे प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता हो। बशर्ते जिस समय पोत पत्तन में हो और वहां हिटिंग प्रणाली को चलाए जाने की आवश्यकता न हो और यथा प्रयोग सीफेयरर आवासन के इन भागों हेतु गर्मी के लिए कुशलतापूर्ण स्थायी साधन उपलब्ध करवाए गए हों।

(ग) उन सभी पोतों में जिनमें की हिटिंग की प्रणाली की आवश्यकता है, वहां हिटिंग गर्म पानी, गर्म हवा, बिजली, भाप या समरूपी साधन से की जानी चाहिए। तथापि, आवासन क्षेत्र के भीतर गर्मी फैलाने के माध्यम के रूप में भाप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हिटिंग प्रणाली इतनी क्षमतावान होगी कि यह पोत जिस कार्य व्यापार में लगा है उसमें निहित संभावित मौसम और वातावरण की सामान्य स्थितियों के अंतर्गत संतोषजनक स्तर पर सीफेयरर आवासन में तापमान को बनाए रखा जा सके।

(घ) रेडिएटर और अन्य हिटिंग उपकरण लगाए जाएंगे तथा जहां आवश्यक होगा वहां इन्हें ढक के रखा जाएगा ताकि आग लगने का जोखिम टाला जा सके या यहां रहने वालों को खतरा या तकलीफ न हो।

(3) रोशनी – (1) सभी पोतों के समुद्रकमी आवासन में बिजली से रोशनी की जानी चाहिए। रोशनी करने के लिए यदि बिजली के दो स्वतंत्र स्रोत नहीं हैं तो आपातकालिक प्रयोग हेतु उचित रूप से निर्मित लैम्प या रोशनी करने वाले उपकरण अतिरिक्त रोशनी के लिए उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

(2) शयनकक्षों की प्रत्येक बर्थ के सिर की ओर पढ़ने के लिए बिजली का एक लैम्प लगाया जाना चाहिए।

(3) कृत्रिम रोशनी के मानक चौथी अनुसूची बिजली की रोशनी के अनुसार होंगे।

(4) इसके अलावा पोत के शयनकक्ष और भोजन कक्ष में उचित रूप से प्राकृतिक रोशनी आएगी। यदि यात्री पोत के किसी स्थान में उचित रूप से कुदरती रोशनी का आना व्यावहारिक न हो तो उस जगह पर बिजली की पर्याप्त रोशनी होने की दशा में इस तरह की रोशनी की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) शयनकक्ष/ भोजनकक्ष में कुदरती रोशनी या किसी जगह पर कृत्रिम रोशनी इस अनुसूची हेतु तब उचित माना जाएगा जब दिन के समय साफ मौसम में निर्बाध रूप से चलने के लिए दी गई जगह में कक्ष में किसी भी जगह सामान्य नजर वाले व्यक्ति द्वारा सामान्य अखबार पढ़े जाने के लिए पर्याप्त हो।

4. शयन आवासन – (1) पोत पर जब शयन आवासन की आवश्यकता हो तब शयनकक्षों हेतु निम्नलिखित अपेक्षाएं लागू होंगी :

(क) यात्री पोतों को छोड़कर अन्य पोतों में प्रत्येक समुद्रकर्मि के लिए अलग से शयन कक्ष होगा। तथापि, पोत यदि 3000 सकल टनभार से कम का है या विशेष प्रयोजन वाला है तो शयनकक्षों में रखे गए समुद्रकर्मियों की संख्या निम्नोक्त से अधिक नहीं होगी:-

(i) 3000 सकल टन और 500 सकल टन के बीच वाले पोत: मास्टर चीफ इंजीनियर, नेवीगेटिंग और निगरानी के प्रभारी इंजीनियर अधिकारी-प्रतिरूप एक व्यक्ति।

(ii) 500 सकल टन से नीचे पोत: मास्टर और चीफ इंजीनियर- एक व्यक्ति प्रति कक्ष

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अलावा समुद्रकर्मि – प्रति कक्ष 2 व्यक्तियों से अधिक नहीं।

(ख) महिलाओं और पुरुषों के लिए शयन कक्ष अलग-अलग हों।

(ग) शयन कक्षों का आकार पर्याप्त होगा और इनमें उचित रूप से साज-सामान लगा होगा जिससे उचित आराम मिल सके और व्यवस्था बनी रहे।

(घ) प्रत्येक समुद्रकर्मि के लिए अलग से एक वर्ष में हर हाल में उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ङ) बर्थ का न्यूनतम अंदरूनी आयाम कम-से-कम 198 से.मी. गुणा 80 से.मी. होगा।

(च) समुद्रकर्मियों के एकल बर्थ वाले शयन कक्षों के फर्श की जगह निम्नोक्त से कम नहीं होगी।

(i) 3000 सकल टनभार से कम वाले पोतों में 4.5 वर्ग मीटर।

(ii) 3000 सकल टनभार या इससे ऊपर किंतु 10000 सकल टनभार से कम वाले पोतों में 5.5 वर्ग मीटर;

(iii) 10000 सकल टनभार या इससे अधिक के पोतों में 7 वर्ग मीटर।

(छ) तथापि, 3000 सकल टनभार से कम के पोतों, यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन वाले पोतों पर एकल बर्थ शयन कक्षों को उपलब्ध करवाए जाने के लिए नौवहन महानिदेशक फर्श की जगह कर सकता है;

(ज) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन वाले पोतों के अलावा 3000 सकल टनभार से कम वाले पोतों के शयन कक्षों में अधिकतम 2 समुद्रकर्मियों होंगे; ऐसे शयन कक्षों के फर्श की जगह 7 वर्ग मीटर से कम नहीं होगी।

(झ) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन वाले पोतों पर उन समुद्रकर्मियों हेतु शयन कक्षों की फर्श की जगह निम्नोक्त से कम नहीं होगी जो कि पोतों के अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहें हों:-

(i) 7.5 वर्ग मीटर के कक्ष में 2 लोग रहेंगे।

(ii) 11.5 वर्ग मीटर के कक्ष 3 लोग रहेंगे।

(iii) 4.5 वर्ग मीटर के कक्ष में 4 लोग रहेंगे।

(ञ) विशेष प्रयोजन वाले पोतों के शयन कक्षों में 4 व्यक्तियों से अधिक रह सकते हैं। इन शयन कक्षों के फर्श की जगह प्रति व्यक्ति 3.6 वर्ग मीटर से कम नहीं होगी।

(ट) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन वाले पोतों को छोड़कर शेष पोतों के पोत अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे समुद्रकर्मियों हेतु शयन कक्ष, जहां कि अलग से बैठने का कमरा या डे रूम नहीं दिया गया है तो प्रति व्यक्ति फर्श की जगह निम्नोक्त से कम नहीं होगी;

(i) 3000 सकल टनभार से कम वाले पोतों में 7.5 वर्ग मीटर;

(ii) 3000 सकल टनभार या इससे अधिक किंतु 10000 सकल टनभार से कम वाले पोतों में 8.5 वर्ग मीटर;

(iii) 10000 सकल टनभार या इससे अधिक वाले पोतों में 10 वर्ग मीटर।

(ठ) यात्री पोतों और विशेष प्रयोजन वाले पोतों को छोड़कर शेष उन पोतों में जहां कि प्राईवेट सेटिंग रूप या डे रूम नहीं है वहां पोत के अधिकारियों का कर्तव्य निर्वहन करने वाले समुद्रकर्मियों हेतु फर्श की जगह, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रति व्यक्ति 7.5 वर्ग मीटर और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 8.5 वर्ग मीटर से कम नहीं होनी चाहिए; कनिष्ठ अधिकारी उन्हें समझा जाए जो प्रचालन स्तर पर काम करते हैं और वरिष्ठ अधिकारी प्रबंधन स्तर पर।

(ड) 3000 सकल टनभार और उससे ऊपर वाले पोतों पर मास्टर, चीफ इंजीनियर और चीफ नेवीगेटिंग ऑफीसरों के पास अपने शयन कक्षों के अलावा उनसे सटा एक सीटिंग रूम, डे रूम होगा या इसके समतुल्य अतिरिक्त जगह व्यावहारिक होने पर सेकेंड इंजीनियर अधिकारी को दिए जाने पर विचार किया जाए।

(ढ) इसके प्रत्येक निवासी के लिए दिए गए फर्नीचर में पर्याप्त जगह वाली कपड़ों की अलमारी होगी (कम-से-कम 475 ली.) और एक दराज़ या इसके बराबर की जगह होगी जिसका आकार 56 लीटर से कम नहीं होगा; यदि कपड़ों की अलमारी में ये दराज़ लगी है तो कपड़ों की इस अलमारी का संयुक्त रूप से न्यूनतम प्रमाण 500 ली. होगा; यह एक सेल्फ के साथ फिट होगी और अपनी निजता को सुनिश्चित करने के लिए निवासी द्वारा इसमें ताला लगाया जा सकेगा।

(ण) हर शयन कक्ष में टेबल या डेस्क उपलब्ध कराई जाएगी जो फिक्स, ड्राफ लीफ या स्लाइड आउट प्रकार की हो सकती है और यथावश्यक रूप से बैठने की सुविधाजनक जगह होगी।

(त) पोत पर बर्थ की पर्याप्त व्यवस्थाएं होंगी जिससे समुद्रकर्मियों के लिए या समुद्रकर्मियों के साथ जो कोई साथी हो उसके लिए यह सुविधाजनक रहे।

(थ) जहां पोत का आकार, जिस कार्य में ये लगा हो वह और इसके विन्यास की दृष्टि से जहां उचित और व्यावहारिक हो वहां शयन कक्षों में निजी स्नानघर शौचालय सहित बनाए जाएंगे जिससे इसके निवासियों को उचित सुविधा मिल सके और इसे व्यवस्थित बनाए रखा जा सके।

(द) यथा व्यावहारिक रूप से समुद्रकर्मियों के शयन कक्ष इस तरह से व्यवस्थित होंगे कि हर वाच अलग-अलग हो और दिन के समय कार्य करने वाला कोई समुद्रकर्मियों किसी वाच कीपर के साथ कक्ष में साझेदारी न करे।

(ध) पेटी अधिकारियों के कर्तव्य का निर्वहन करने वाले समुद्रकर्मियों की दशा में प्रति शयन कक्ष 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

(न) बर्थों और लॉकरों, दराज़ों की चेस्टों और सीटों द्वारा घेरी गई जगह को फर्श की जगह की माप में शामिल किया जाएगा। छोटी या अनियमित आकार वाली ऐसी जगहें जो उपलब्ध जगह में प्रभावी रूप से शामिल नहीं होती कि उनमें निर्बाध रूप से चला-फिरा जा सके और जिनमें फर्नीचर न लगाया जा सके उनमें उन जगहों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(प) 2 से अधिक टियरों में बर्थें नहीं लगायी जाएंगी। पोत के एक ओर लगी बर्थों की स्थिति में मात्र एकल टियर ही होना चाहिए जहां कि बर्थ के ऊपर साइड लाइट लगी हो।

(फ) दोहरे टियर में निचली बर्थ फर्श से 30 से.मी.से कम की ऊँचाई पर नहीं होनी चाहिए; ऊपरी बर्थ ऐसी जगह पर लगी होनी चाहिए जो कि निचली बर्थ के तले और डैक हैडबीम की निचली तरफ के करीब-करीब कहीं बीच पर लगी हो।

(ब) यदि बर्थ का कोई फ्रेमवर्क ली बोर्ड हो तो वह सामग्री अनुमोदित की गई, कठोर, चिकनी हो और ऐसी न हो जिसके गलने की संभावना हो या इसमें कीड़े लग सकें।

(भ) यदि बर्थ का निर्माण करने वाले ट्यूब वाला फ्रेम प्रयोग में लाया गया है तो यह पूरी तरह से सील होने चाहिए और इनमें छेद नहीं होने चाहिए जिससे कीड़ों से बचाव हो सके।

(म) हर बर्थ पर आरामदायक गद्दीदार तले वाला गद्दा लगा हो या इसमें संयुक्त रूप से गद्दी लगा गद्दा हो, इसमें स्प्रिंग वाला तला या स्प्रिंग वाला गद्दा शामिल है। प्रयुक्त गद्दा और गद्दियों की सामग्री अनुमोदित सामग्री की बनी होनी चाहिए। ऐसी सामग्री को इसमें भरने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसमें की कीड़े लग सकते हों।

(य) जब एक ऊपर दूसरी बर्थ लगाई जाए तो ऊपरी बर्थ के गद्दे के तले में या तले स्प्रिंग के नीचे एक धूलरोधी तला लगाया जाना चाहिए।

(य क) फर्नीचर चिकना हो कठोर सामग्री का बना हो गलने वाला या बदरंग होने वाला न हो।

(य ख) शयन कक्षों में साइड लाइटों के लिए पर्दे या उसी प्रकार का कुछ लगा होना चाहिए।

(य ग) शयन कक्षों में आईना, प्रसाधन आवश्यकताओं हेतु छोटी अलमारियां किताब की एक रैक और पर्याप्त संख्या में कोट के हुक फिट किए हुए होने चाहिए।

(य घ) कक्ष में जब तक मात्र एक व्यक्ति न हो तब तक हर विस्तर पर पर्दा लगा हुआ होना चाहिए।

5. भोजन कक्ष—(1) भोजन कक्ष शयन कक्षों से अलग होंगे और व्यावहारिक रूप से जितना हो सके यह गैली के पास हो।

(2) भोजन कक्ष पर्याप्त आकार के और आरामदायक हों तथा उचित रूप से फर्निस्ड और इक्विप्ड हों (इनमें अल्पाहार की सतत् सुविधाओं सहित) इस संबंध में समुद्रकर्मियों की संभावित उस संख्या को दृष्टिगत रखा जाए जितन की वे एक बार में हो सकते हों।

(3) भोजन कक्ष की सुविधाएं या तो सबके साथ या फिर अलग-अलग हो सकती हैं। पोत का आकार और समुद्रकर्मियों की अलग संस्कृतियों, धर्मों और सामाजिक आवश्यकताओं जैसे घटकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(4) जहां समुद्रकर्मियों को अलग से भोजन कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी है वहां अलग से भोजन कक्ष इनके लिए उपलब्ध करवाए जाने चाहिए-

(ए) मास्टर और अधिकारी; और

(बी) पेटी अधिकारी और अन्य समुद्रकर्मियों।

(5) यात्री पोतों के अलावा अन्य पोतों पर समुद्रकर्मियों के लिए भोजन की कक्ष के फर्श की जगह योजनाबद्ध रूप से बैठने की क्षमता के अनुसार प्रति व्यक्ति 1.5 वर्ग मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(6) सभी पोतों के भोजन कक्षों में मेजें और बैठने की समुचित व्यवस्था हो जो फिक्स या उठाई जा सकने लायक हो, किसी समय विशेष पर संभावित रूप से जितने अधिकतम समुद्रकर्मियों आ सकते हों उतने समुद्रकर्मियों के लिए ये पर्याप्त हो।

(7) समुद्रकर्मियों जब पोत पर हो तो उस समय सदैव ये उपलब्ध होने चाहिए-

(क) एक रेफ्रीजरेटर जो सुविधाजनक स्थान पर रखा हो और इसकी पर्याप्त क्षमता हो जो कि भोजन कक्ष या भोजन कक्षों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के हिसाब से हो;

(ख) गर्म पेयों की सुविधाएं; और

(ग) शीतल जल की सुविधाएं।

(8) जहां उपलब्ध पेट्टियों से भोजन कक्ष में न आया जा सकता हो वहां भोजन हेतु बर्तन और उपर्युक्त सुविधाओं हेतु पर्याप्त लॉकर हों ताकि बर्तन धोए जा सकें।

(9) मेज और सीट के ऊपर का हिस्सा नमी को न सोखने वाली सामग्री का बना हो।

(10) जिस किसी पोत पर ये नियम लागू होते हैं उस पर स्थित निम्नोक्त उपकरण हर भोजन कक्ष या पेट्टी में उपलब्ध रहेंगे जहां कि भोजन कक्ष या इसके पास की जगह से कर्मिंदल सदैव आसानी से आ सकता हो या 3000 टन से कम वाले पोत की दशा में गैली में ये होंगे:-

- (क) स्टोरेज लॉकर;
- (ख) शीतल पेयजल की आपूर्ति;
- (ग) गर्म पेयों के लिए पेयजल को गर्म करने के साधन; और
- (घ) एक माइक्रोवेव ओवन।

6. स्वच्छता सुविधाएं-(1) सभी समुद्रकर्मियों के लिए पोत पर सुविधाजनक स्वच्छता सुविधाएं होंगी जो स्वास्थ्य और सफाई तथा सुविधा के उचित मानको सहित न्यूनतम मानकों वाली होंगी, इनमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध करवायीं जाएंगी;

(2) 3000 सकल टनभार से अधिक वाले पोतों पर स्वच्छता सुविधाएं ऐसी जगह पर होंगी जहां नेवी गेटिंग ब्रिज से और मशीनरी स्थान या इंजन रूम नियंत्रण केंद्र के पास से आसानी से पहुँचा जा सके।

(3) प्रत्येक पोत में कम-से-कम एक शौचालय एक वॉस बेसिन और एक टब या शॉवर या दोनों प्रत्येक उन 6 व्यक्तियों या 6 से कम व्यक्तियों के लिए हो जिनके पास व्यक्तिगत सुविधाएं नहीं हैं, इन्हें सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

(4) यात्री पोत को छोड़कर प्रत्येक पोत के प्रत्येक शयन कक्ष में वॉस बेसिन होगा जिसमें ठंडे और गर्म चलते हुए ताजा पानी की व्यवस्था होगी, सिवाय उस जगह के जहां निजी तौर पर उपलब्ध कराए स्नानागार में वॉस बेसिन लगा है। 200 सकल टनभार से कम वाले पोतों द्वारा इस अपेक्षा को पूरा किया जाना आवश्यक नहीं है।

(5) उन यात्री पोतों में जो सामान्य तौर पर ऐसी यात्राओं में लगे होते हैं जो 4 घंटे की ज्यादा की नहीं होती वहां 12 यात्रियों के लिए 1 वॉटर क्लोजेट उपलब्ध करवायी जाए और महिलाओं तथा पुरुषों के लिए कम-से-कम एक-एक मूत्रालय हो।

(6) नहाने धोने की सभी जगहों पर चलता हुआ ठंडा, गरम, ताजा पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) वॉस बेसिन और नहाने के टब पर्याप्त आकार के होने चाहिए और अनुमोदित सामग्री के बने हों जो चिकनी सतह वाली हो और जो न तो चटके न जिसकी पपड़ी उतरे न जो गले।

(8) सभी शौचालयों में पर्याप्त रूप से फ्लस करने पानी या अन्य उपयुक्त फ्लस करने के साधन होने चाहिए जैसे कि वायु, जो हरदम उपलब्ध रहे और जिन्हें स्वतंत्रतापूर्वक नियंत्रित किया जा सके।

(9) एक से अधिक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाने जाने के लिए अभीष्ट स्वच्छता स्थान निम्नोक्त के अनुसार हो, अर्थात:-

(क) फर्श अनुमोदित टिकाऊ सामग्री के बने हो, ये सीलन न सोखने पाएँ और जल निकासी की उचित व्यवस्था हो।

(ख) बल्कहेड स्टील या अन्य अनुमोदित सामग्री के हों और ये डैक के स्तर के कम-से-कम 23 सेमी ऊपर तक जलरोधी होने चाहिए।

इस उप-पैरा की अपेक्षाएं (उदाहरण के लिए अन्य स्वच्छता आवासन दूसरा स्वच्छता आवासन) समरूपी स्थानों को अलग करने वाले बल्क हेडों पर लागू नहीं होंगी। या उन पर जो बल्क हेड शयन कक्ष को स्वच्छता आवासन को अलग करते हों जिसमें की सीधे तौर पर प्रवेश किया जा सकता हो।

(ग) आवासन में पर्याप्त रोशनी, गर्मी और हवा के आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(घ) शौचालय सुविधाजनक स्थान पर होंगे किंतु ये अलग-अलग होंगे जो शयन कक्ष और प्रसाधन कक्षों से अलग होंगे इनमें शयन कक्षों और प्रसाधनों के बीच के रास्ते से सीधा ही नहीं घुसा जा सकेगा। जहां कि पहुँचने का और तरीका न होगा; यह अपेक्षा वहां लागू नहीं होती वहां शौचालय ऐसे 2 शयन कक्षों के बीच के कंपार्टमेंट में स्थित है जहां कुल मिलाकर 4 से ज्यादा समुद्रकर्मियों नहीं रहते; और

(ङ) जहां कंपार्टमेंट में एक अधिक शौचालय हों तो पर्याप्त रूप से पर्दा होना चाहिए ताकि निजता सुनिश्चित हो सके।

(10) समुद्रकर्मियों प्रयोग हेतु उपलब्ध करवायी गई कपड़े धोने की सुविधाओं में ये शामिल होने चाहिए:-

(क) वाशिंग मशीन

(ख) ड्राइंग मशीन या पर्याप्त रूप से गरम और हवादार- सुखाएं जाने के लिए बनाए गए कक्ष;

(ग) प्रेस और प्रेस करने का बोर्ड या वैसा ही कुछ ।

500 सकल टन जलयानों के लिए (क) और (ख) की बजाय वॉशिंग-कम-ड्राइंग मशीन उपलब्ध करवायी जाए ।

7. अस्पताल आवासन :- (1) ऐसा हर पोत जो 15 या अधिक समुद्रकर्मियों को ले जाता हो और 3 दिन से अधिक की यात्रा में लगा हो, उन्हें छोड़ के जो तटीय व्यापार में संलग्न है, उनमें चिकित्सीय प्रयोजनों हेतु अनन्य रूप से प्रयोगार्थ अलग से अस्पताल आवासन होगा । इसे हेतु तय की गई जगह को बीमार व्यक्तियों के उपचार के अलावा किसी और प्रयोजन हेतु कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा । ऐसा हर पोत जो अनन्य रूप से जो भारत के तटीय व्यापार में संलग्न हो उस पर आपात स्थिति में स्थायी अस्पताल के रूप में प्रयोगार्थ जगह तय की गई है तो उस पर अलग से अस्पताल की आवश्यकता नहीं होगी । इस तरह से तय किए गए स्थान और विन्यास को इस तरह से बनाया जाएगा कि इस जगह पर घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर डालकर आसानी से लाया जा सके और प्रथमोचार दिया जा सके ।

(2) अस्पताल आवासन में हर मौसम में आसानी से पहुँचा जा सकेगा, यहां रहने वालों को आरामदायक आवासन उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी तुरंत और उचित देख रेख की व्यवस्था होगी ।

(3) अस्पताल आवासन इस तरह से डिज़ाइन किया गया होगा कि परामर्श सुविधाएं तथा प्रथमोचार दिया जा सके और संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोका जा सके ।

(4) प्रवेश, बर्थ, रोशनी, वातायन, गर्म करने और जलापूर्ति की व्यवस्था इस प्रकार से डिज़ाइन की होनी चाहिए कि यहां के निवासियों का उपचार सुविधा और सरलतापूर्वक सुनिश्चित हो सके ।

(5) अस्पताल में बर्थों की आवश्यक संख्या का पैमाना ये हो कि हर 50 समुद्रकर्मियों या उनके भाग पर एक बर्थ कम से कम हो ।

(6) अस्पताल आवासन में रह रहे लोगों के अनन्य प्रयोगार्थ स्वच्छता आवासन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए जो या तो आवासन के भाग के रूप में हो या फिर उससे बिल्कुल सटी हुई जगह हो । ऐसी स्वच्छता आवासन में कम से कम एक शौचालय एक वॉस बेसिन और एक टब या शॉवर होना चाहिए ।

(7) प्रत्येक स्थायी अस्पताल के प्रवेश द्वारा की न्यूनतम चौड़ाई 76 सेमी से कम नहीं होगा ।

(8) फिटिंग और उपस्कर- प्रत्येक अस्पताल में ये उपलब्ध करवाएं जाएंगे-(i) कपड़ों की अलमारी लगभग 30 सेमी चौकोर और 61 सेमी ऊँची होगी और यह एक फ्लैट टॉप और एक सेल्फ के साथ फिट होगी;

(ii) बिजली की एक घंटी इस प्रकार से लगायी गई होगी कि यह हर बिस्तर से पहुँच के भीतर हो और रोगियों के प्रभारी व्यक्ति और ब्रिज के शयन कक्ष तक इसकी आवाज पहुँच सके ।

8. विविध (1) प्रत्येक पोत में पर्याप्त रूप से हवादार कंपार्टमेंट या लॉकर उपलब्ध कराएं जाएंगे जिन पर समुद्रकर्मियों द्वारा प्रयुक्त मोमजामे और काम के कपड़े को लटकाया जाएगा ।

(2) जहां इंजिन विभाग के कर्मचारियों को कपड़े बदलने के अलग से सुविधाएं दी गई हैं वहां ये होने चाहिए-

(क) कि ये मशीनरी स्थान से बाहर स्थित हों लेकिन इनमें आसानी से जाया जा सके; और

(ख) कपड़े की हर आलमारी के साथ ही टबों या शॉवरों या दोनों के साथ ये फिट हों और वॉस बेसिन में चलता हुआ ठंडा और गरम ताजा पानी आए ।

(3) खुले डैक पर हवादार स्थान- सभी पोतों के खुले डैक पर ऐसा स्थान या स्थान होंगे जहां ड्यूटी के बाद समुद्रकर्मियों जा सकें, ये जगह पोत के आकार और पोतस्थ समुद्रकर्मियों की संख्या की दृष्टि से पर्याप्त होगी ।

(4) कार्यालय आवासन- 3000 सकल टनभार से अधिक सभी पोतों पर अलग से कार्यालय या पोत का संयुक्त कार्यालय होगा जो कि डैक और इंजिन विभागों द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा ।

(5) बिस्तर, भोजन के बर्तन और विविध उपबंध- प्रत्येक पोत का पोत स्वामी समुद्रकर्मियों को निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा-

- (i) पोत पर सेवा के दौरान पोत पर प्रयोग किए जाने के लिए सभी समुद्रकर्मियों को पोत स्वामी द्वारा साफ बिस्तर और भोजन के बर्तन दिए जाने चाहिए, और समुद्रकर्मियों को चाहिए कि मास्टर द्वारा विनिर्दिष्ट समय पर तथा पोत पर सेवा पूरी हो जाने के बाद संबंधित समुद्रकर्मियों इन्हें लौटाने के लिए उत्तरदायी हो;
- (ii) बिस्तर अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए कप प्लेट और भोजन के अन्य बर्तन अनुमोदित सामग्री के होने चाहिए तथा इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता हो; और
- (iii) सभी समुद्रकर्मियों के लिए साबुन, तौलिए और टायलेट पेपर पोत स्वामी द्वारा उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

(6) मच्छरों से बचाव- (क) जो पोत नियमित रूप से ऐसे पत्तनों पर व्यापार कार्य में लगे हैं जहां मच्छरों की समस्या है वहां मच्छरों को घुसने से रोका जाएगा। यह बचाव इस तरह के साधनों द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जैसे कि अपने आप बंद होने वाले दरवाज़े या जंगरोधी तारों के बने पर्दों या जो उपयुक्त सामग्री से बने हों जिन्हें स्कटलों, कुदरती वातायनों, स्काई लाइटों और खुले डैक की तरफ वाले दरवाज़ों पर लगाया जाएगा।

(ख) पोत के स्थायी या अस्थायी अस्पताल के जिस किसी दरवाज़े पर दरवाज़े के रूप में प्रवेश की जगह यह स्क्रीन फिट होगी, जिस पर ये पैरा लागू होते हों, वह अपने आप बंद होने वाली प्रकार की होगी।

9. मनोरंजन सुविधाएं-(1) प्रत्येक पोत पर जो समुद्रकर्मियों को आवश्यक रूप से रहना और कार्य करना होता है उनके विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथा-अंगीकृत रूप से समुचित समुद्रकर्मियों, मनोरंजन सुविधाएं, सुख साधन और सेवाएं पोत पर सभी समुद्रकर्मियों के हितार्थ उपलब्ध करवायीं जाएंगी।

(2) मनोरंजन सुविधाओं और सेवाओं की थोड़ा-थोड़ा समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोतपरिवहन उद्योग के तकनीकी, प्रचालनात्मक तथा अन्य विकासों के परिणामस्वरूप समुद्रकर्मियों की आवश्यकताओं में हुए परिवर्तनों के आलोक में ये समुचित हैं।

(3) मनोरंजनात्मक सुविधाओं की फर्नीशिंग में न्यूनतम एक बुक केश लिखने पढ़ने की सुविधाएं होनी चाहिए साथ ही जहां व्यावहारिक वहां गेम्स होने चाहिए।

(4) जहां व्यावहारिक हो वहां समुद्रकर्मियों को बिना किसी खर्च पर निम्नोक्त सुविधाएं भी उपलब्ध करवायी जाएं:-

- (क) धूम्रपान कक्ष
- (ख) टी.वी. देखना और रेडियो सुनना
- (ग) फिल्में दिखाया जाना, यात्रा की अवधि के लिए इनका पर्याप्त

भंडार हो और आवश्यकतानुसार उचित अंतरालों पर इन्हें बदला जाए।

- (घ) व्यायाम उपस्कर, टेबल गेम और डैक गेम सहित खेलकूद उपस्कर।
- (ङ) तैराकी की सुविधाएं
- (च) एक पुस्तकालय में व्यावसायिक तथा अन्य पुस्तकें हों,

इनका स्टॉक यात्रा अवधि के लिए पर्याप्त हों तथा इन्हें उचित अंतरालों पर बदला जाना चाहिए।

- (छ) हस्तशिल्पों की सुविधाएं
- (ज) इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, वीडियो

रिकॉर्डर, डिजिटल वीडियो डिस्क/ कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, पर्सनल कंप्यूटर और साफ्टवेयर तथा कैसेट रिकॉर्डर/ प्लेयर;

(ज) जहां उचित हो वहां समुद्रकर्मियों के लिए पोत पर मदिरालयों का उपबंध हो बशर्ते ऐसा करने पर राष्ट्रीय, धार्मिक, या सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न होता हो; और

(ट) उचित रूप से पोत से जमीन पर टेलीफोन से बातचीत की जा सके और जहां उपलब्ध हो वहां ई-मेल और इंटरनेट सुविधाएं हों, इन सेवाओं के प्रयोगार्थ शुल्क के रूप में उचित धनराशि ली जाए।

10. सीफेयरर आवासन का अनुरक्षण तथा निरीक्षण-(1) (क) प्रत्येक पोत पर जिस पर कि ये नियम लागू होते हों वहां का सीफेयरर आवासन साफ और रहने योग्य स्थिति में रखा जाएगा और इन नियमों द्वारा अपेक्षित उपस्कर और संस्थापनाएं कार्य कुशलतापूर्ण तरीके से लगा कर रखे जाएंगे। सीफेयरर आवासन का हर भाग (जो स्टोर रूम न हो) उसे भंडार तथा अन्य ऐसी सामान से मुक्त रखा जाएगा जो इससे संबंधित नहीं है या ऐसे व्यक्तियों को प्रयोग के लिए दी गई हों जो जिनके रहने के लिए आवासन दिया गया हो और खासकर तौर पर सीफेयरर आवासन के किसी भाग में कार्गो नहीं रखा जाएगा।

(ख) पोत का मास्टर या उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारी जिसके साथ एक या दो समुद्रकर्मि सदस्य हों वह 2 सप्ताह में कम से कम एक बार सीफेयरर आवासन के हर हिस्से का निरीक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीफेयरर आवासन साफ है, शालीनतापूर्ण तरीके से रहने योग्य है और जहां भी इसकी मरम्मत की जानी थी वहां उसकी मरम्मत कर दी गई है। ऐसे हर निरीक्षण के परिणामों दर्ज किया जाएगा और समीक्षा के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। पोत का मास्टर इन प्रविष्टियों को किए जाने के प्रयोजनार्थ विशेष रूप से रखी गई पुस्तक में ये प्रविष्टियां करेगा-

- (i) निरीक्षण का समय और तारीख
- (ii) निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों नाम और रैंक;
- (iii) निरीक्षण करने वाले व्यक्तियों में से किसी द्वारा सीफेयरर आवासन या इसके किसी भाग का निरीक्षण करने पर पाए जाने वाले वे विवरण जिनके अनुसार इन नियमों का पालन न किया गया हो।
- (2) सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण- पोत के सीफेयरर आवासन के निरीक्षण सर्वेक्षक द्वारा तब किया जाएगा जब-
 - (i) पोत भारत में रजिस्ट्रीकृत या पुनः रजिस्ट्रीकृत हो;
 - (ii) पोत के सीफेयरर आवासन के किसी हिस्से में भारी परिवर्तन या मरम्मत का कार्य चले;
 - (iii) किसी जगह पर रखे गए व्यक्तियों की संख्या पैरा 1 के उप-पैरा (11) के अनुसरण में तय से अधिक हो; और
 - (iv) सर्वेक्षक के मतानुसार ऐसा मानने का कारण हो (भले ही यह शिकायत की वजह से हो या न हो) कि पोत के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ या ऐसी कोई स्थिति है जिसके चलते निदेशालय ने पोत को इन नियमों की अपेक्षा से छूट प्रदान की है उससे वह संतुष्ट न हो;
 - (v) पोत के पोत स्वामी या किसी ऐसे संगठन द्वारा या उसकी ओर से निदेशालय या समुद्री वाणिज्य विभाग से सीफेयरर आवासन का निरीक्षण करने के लिए अनुरोध किया गया हो जो कि भारतीय पोतों के पोत स्वामियों या संबंधित समुद्रकर्मि का प्रतिनिधि हो; या
 - (vi) अधिनियम की धारा 176 के अंतर्गत सम्यक प्राधिकृत अधिकारी को निम्नोक्त अपेक्षाओं सहित शिकायत दर्ज करवाई गई हो जो है:-
 - (क) शिकायत लिखित रूप में की जाएगी जिस पर मास्टर या तीन या अधिक समुद्रकर्मियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;
 - (ख) शिकायत में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि इन नियमों की अनुपालना की दृष्टि से सीफेयरर आवासन के बारे में अनुपालन न करने का क्या आरोप है;
 - (ग) शिकायत असम्यक विलंब के बिना की जाएगी;
 - (घ) पोत यदि पत्तन में 24 घंटे के कम के लिए नहीं हैं तो पोत जब अपनी यात्रा पर निकलना है तो उससे कम से कम 24 घंटे पहले यह शिकायत दर्ज होनी चाहिए।

11. ध्वनि तथा कंपन की रोकथाम- (1) सीफेयरर आवासन, मनोरंजनात्मक और खानपान सुविधाएं यथा व्यावहारिक रूप से इंजिनों, स्टीयरिंग गियर कक्षों, डैक बेंचों, वातायन, हिटिंग और वातानुकूलन उपकरण तथा अन्य ध्वनिकारी मशीनरी तथा उपस्कर से दूर रखे जाएंगे।

(2) बल्क हेडों, डैक और डैक के भीतर की ध्वनिकारी जगहों के साथ अपने-आप बंद होने वाले मशीनरी जगहों के आइसोलेटिंग दरवाज़े, के निर्माण तथा फिनिशिंग में प्रयुक्त अकॉस्टिक इन्सुलेशन या अन्य समुचित ध्वनि अवशोषक सामग्रियां अनुमोदित प्रकार की होंगी।

(3) इंजिन रूम कर्मियों हेतु जहां व्यावहारिक होगा वहां ध्वनिरोध केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्ष इंजिन रूमों और अन्य मशीनरी स्थानों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मशीन शॉप जैसी कार्य करने की जगह यथा-व्यावहारिक रूप से जनरल इंजिन रूम की ध्वनि इसमें न आने देने के लिए इसे इन्सूलेट किया जाएगा और मशीनरी को चलाने पर होने वाली ध्वनि को कम करने के उपाय होने चाहिए।

(4) कार्य करने की और रहने की जगहों हेतु ध्वनि के स्तरों की सीमा अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन के पोतों पर ध्वनि स्तरों की संहिता और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के, कार्यस्थल पर वातावरण के घटक 2001 के नाम से रीति संहिता में जो दिए गए हैं उन सहित सामना किए जाने वाले स्तरों पर अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों और जहां प्रयोजनीय हो वहां अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन द्वारा संस्तुत विशिष्ट संरक्षण और पोत पर स्वीकार ध्वनि स्तरों हेतु अनुवर्ती रूप से संशोधित किए जाने वाले और अनुपूरक उपस्करों के अनुसार होने चाहिए। प्रयोजनीय कारकों की प्रति अंग्रेजी में या पोत की कार्यभाषा में पोत पर होनी चाहिए और इसकी पहुँच समुद्रकर्मियों तक होनी चाहिए।

(5) अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विहित मानकों के अनुसरण में किसी आवासन या मनोरंजनात्मक या खानपान सुविधा का सामना अत्यधिक कंपन से नहीं होगा।

12. गैली, प्रोवीजन कक्ष, कोल्ड स्टोर, रेफ्रीजेरेटिंग उपस्कर- (1) (क) जब तक ऐसी परिस्थितियां न हों कि समुद्रकर्मियों को पोत पर भोजन की आवश्यकता नहीं है तब प्रत्येक पोत पर समुद्रकर्मियों हेतु भोजन बनाए जाने के लिए एक गैली उपलब्ध करवायी जाएगी।

(ख) गैली समुद्रकर्मियों हेतु उपलब्ध करवाए गए भोजन कक्षों के जितना हो सकेगी उतना करीब होगी और हर एक मौसम में भोजन कक्षों में भोजन को परोसे जा सकने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) गैली और किसी शयनकक्ष के बीच किसी प्रकार का कोई सीधा रास्ता नहीं होगा।

(घ) हर गैली में एकजॉस्ट फैन लगे होंगे जो खाना बनाने वाले उपकरणों से निकले धुएं को खींच कर खुली हवा में छोड़ देंगे।

(ङ) गैली के फर्श पर गटर और स्कपर लगे होंगे जो पोत पर या मशीन से चलाए जाने वाले सक्शन पंप द्वारा चालित लगे हुए टैंक में जाएंगे। गटर और स्कपरों की स्थिति और संख्या इतनी होगी जिससे ये सुनिश्चित हो कि फर्श का पूरी तरह से पानी निकल गया है।

(च) गैली में खाना बनाने के उपकरण इस तरह से व्यवस्थित किए जाएंगे जिससे की गैली की सफाई की जा सके।

(छ) गैली की सभी अलमारियां और ड्रेसर ऐसी सामग्री के होंगे जिनमें धूल और नमी प्रवेश न पा सके तथा इन्हें आसानी से साफ किया जा सके। अलमारियों और ड्रेसरों के धातु वाले सभी भाग जंगरोधी होंगे। गैली में लगी अलमारियों और ड्रेसरों के पेंदे या तो डैक के साथ फ्लश होंगे या फिर इन्हें इस तरह से फिट किया गया होगा इनके नीचे की डैक जगह पर पहुँच कर इन्हें कभी भी साफ किया जा सके।

(ज) हर गैली में इतने उपस्कर होंगे जिनसे की गैली में जितने लोगों का भोजन तैयार किया जाना है उसे पर्याप्त मात्रा और उचित रीति से तैयार किया जा सके और खाना बनाने के बर्तनों को स्वच्छतापूर्ण तरीके से साफ किया जाएगा।

(झ) हर गैली में पर्याप्त क्षमता वाले एक ओवन और श्लैश या कुकिंग रेंज सहित खाना बनाने के एक या एक से अधिक उपकरण होंगे।

(2) सूखे सामान वाले कक्ष – (क) प्रत्येक पोत में, जो ऐसा पोत नहीं है जिसमें प्रत्येक समुद्रकर्मियों अपना भोजन स्वयं उपलब्ध करवाता है, उसमें समुद्रकर्मियों हेतु सूखे सामान को भंडारित करने के लिए एक अधिक भंडार कक्ष उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसे कक्षों में पर्याप्त अलमारियां, सेल्फ और बिन लगे होंगे जो इस तरह से उस संभावित अधिकतम अवधि के हिसाब से होंगे कि सामान को उनमें फिर से कब भरा जाना है और अधिकतम व्यक्तियों की उस संख्या को ध्यान में रखा जाएगा जिन्हें कि भोजन परोसा जाना है।

(ख) प्रत्येक सूखे सामान का भंडार कक्ष बल्क हेडों से लगा होगा जो स्टील या अन्य उपयुक्त सामग्री के बने होंगे।

(ग) प्रत्येक सूखे सामान के भंडार कक्ष में पैसेजवे, गैली, पेंट्री या अन्य भंडार कक्ष से प्रवेश किया जाएगा या फिर खुले डैक पर जो स्थिति हो उससे इसमें प्रवेश होगा, यह जो भी परिस्थितिजन्य रूप से जो भी उचित और व्यावहारिक हो, उसकी स्थिति संरक्षित होगी।

(घ) प्रत्येक सूखे सामान का कक्ष ऐसी जगह पर स्थित, निर्मित तथा वातायित होगा जिससे गर्मी बाढ़ कीड़े-मकोड़ों के लग जाने या नमी सीलन के आ जाने की वजह से सामान को नुकसान न पहुँचे।

(3) कोल्ड स्टोर रूम और रेफ्रीजेरेटिंग उपस्कर- (क) प्रत्येक पोत में खराब होने वाले सामान के लिए साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3000 सकल टनभार से नीचे के पोतों में रेफ्रीजेरेटेड या बॉक्स फ्रीज़र सूखे सामान के कक्ष में या गैली में या गैली से लगे अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर लगे हो सकते हैं।

(ख) हर कोल्ड स्टोर रूम में पैसेजवे, गैली या पेंट्री या अन्य भंडार कक्ष से घुसा जाएगा।

दूसरी अनुसूची

[नियम 2(1) (ट) देखें]

ट्रंक वाली मैकेनिकल वातायन प्रणाली

1. ट्रंक वाली मैकेनिकल वातायन प्रणाली इन नियमों के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट की गयी है (इस अनुसूची में इसे प्रणाली कहा गया है) जो यहां उपाबंध तालिका 1 के दूसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट स्थानों के संबंध में है, जो निष्पादन के संबंधित मानकों के अनुसार क्षमतावान होगी जो कि तालिका के तीसरे या चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट हैं उनमें से परिस्थितियों के अंतर्गत जो मानक उच्चतर हो। बशर्ते तालिका 1 में ऐसा कुछ न हो जिसे यहां संलग्न तालिका 2 के दूसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट स्थान के संबंध में लाया जा सके।

(2) तालिक 2 के दूसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट स्थानों के संबंध में प्रणाली इतनी सक्षम होगी कि तालिका के तीसरे और चौथे स्तंभों में विनिर्दिष्ट निष्पादन के संबंधित मानकों के अनुसार हो।

(3) यदि किसी भंडार कक्ष में किसी और जगह के लिए लगे ऐसे पंखे से हवा आती है जो गरम की हुई है तो भंडार कक्ष में ऐसे अन्य स्थान पर आने वाली हवा से अलग करके एक ट्रंक वाला वातायन उपलब्ध करवाया जाएगा।

(4) प्रणाली के साथ जोड़कर एगजॉस्ट के छेदों की जगह क्लियर होगी जो इतनी पर्याप्त होगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रणाली के चलते समय प्रत्येक एगजॉस्ट छेद पर वायु का वेग प्रति सेकेंड 5.08 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(5) प्रणाली के हिस्से के रूप में जो सप्लाय फैन होगा उसकी गति को घटाया बढ़ाया जा सकेगा।

(6) चलते समय प्रणाली ध्वनि शून्य होगी।

(7) प्रणाली के ट्रंक वाले सभी हिस्सों में न लौटने फ्लैप उपलब्ध करवाएं जाएंगे जहां ऐसे फ्लैप आवश्यक हों कि इनसे दुर्गंध को बाहर निकाला जा सके और कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाया जा सके।

(8) प्रणाली को यदि इस तरह से परिकल्पित किया गया है कि सीफेयरर आवासन को गरम करने के ही लिए एकाकी रूप से गरम हवा को परिसंचित किया जाता है तो प्रणाली ऐसे उप प्रभावों में विभक्त होगी जिन्हें यथावश्यक रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा ताकि सीफेयरर आवासन के सभी भागों में आरामदायक तापमान बनाए रखा जा सके।

तालिका 1

श्रेणी	स्थान	हर घंटे में बदली जाने वाली ताजा हवा	किसी समय विशेष में कक्ष में संभावित रूप से प्रयुक्त हर व्यक्ति के लिए ताजा हवा का आवतन (घनमी/मिनट)
(1)	(2)	(3)	(4)
क	ऊपरी या सैल्टर डैक के ऊपर वाले डैक हाउसों में श्रेणी (ग) में बताए गए के अलावा स्थान:- (1) बाहर के कक्ष (मशीनरी केशिंग से जुड़े कक्षों को छोड़कर) (2) कमरों के भीतर और मशीनरी केशिंग से जुड़े कमरे	10 15	1.42 1.42
ख	ऊपरी या सैल्टर डैक के ऊपर की अधिरचनाओं के हर ओर श्रेणी (ग) में दिए गए स्थानों के अलावा: (1) बाहर के कक्ष (मशीनरी केशिंग से जुड़े कक्षों को छोड़कर) (2) कमरों के भीतर और मशीनरी केशिंग से जुड़े कमरे	12 15	1.42 1.42
ग	भोजन कक्ष, धूम्रपान कक्ष और मनोरंजन कक्ष (प्रत्येक मामले में ऊपरी सैल्टर डैकों के ऊपर): (1) जो मशीनरी केशिंग से सटे नहीं हैं। (2) जो मशीनरी केशिंग से सटे हुए हैं।	15 18	0.71* 0.71*
घ	मशीनरी केशिंग से सटे हुए पैसेजवे	4	
ड	अंतर्दहन मशीनरी द्वारा प्रणोदित पोतों के डैकों (डैकों के बीच सैल्टर सहित) के बीच में कक्ष: (1) जिन कक्षों के पास मशीनरी केशिंग नहीं है (2) वे कक्ष जो मशीनरी केशिंग की लाइन में तो हैं पर उनसे सटे नहीं हैं (3) जो कक्ष मशीनरी केशिंग से सटे हुए हैं (भोजन कक्षों, धूम्रपान कक्षों और मनोरंजन कक्षों को छोड़कर) (4) भोजन कक्षों, धूम्रपान कक्ष और मनोरंजन कक्ष (प्रत्येक मामले में मशीनरी केशिंग से सटा हो)	12 12 15 18	1.42 1.42 1.70 0.71
च	वाष्प पोतों के डैकों के बीच के कक्ष (डैकों के बीच सैल्टर सहित): (1) मशीनरी केशिंग से मुक्त कक्ष (2) मशीनरी केशिंग की लाइन में किंतु वे कक्ष इनसे सटे नहीं हैं (3) मशीनरी केशिंग के तुरंत ऊपर या इसकी लाइन के कक्ष और जो	12 15 18	1.42 1.70 1.70

मशीनरी केशिंग से सटे हुए हैं (भोजन कक्षों, धूम्रपान कक्षों और मनोरंजन कक्षों को छोड़कर)		
(4) भोजन कक्ष, धूम्रपान कक्ष और मनोरंजन कक्ष (प्रत्येक मामले में मशीनरी केशिंग से सटे हुए)	20	0.85*

*एक समय में इस कक्ष को चाहे जितने व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने की संभावना हो तो भी प्रति मिनट ताजा हवा का कुल परिमाण आवश्यक नहीं होगा कि वह प्रति घंटे 20 से अधिक बार ताजा हवा को परिवर्तित करे।

**एक समय में इस कक्ष को चाहे जितने व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने की संभावना हो तो भी प्रति मिनट ताजा हवा का कुल परिमाण आवश्यक नहीं होगा कि वह प्रति घंटे 24 से अधिक बार ताजा हवा को परिवर्तित करे।

तालिका 2

श्रेणी	स्थान	हर घंटे में बदली जाने वाली ताजा हवा	
		आपूर्ति	एग्जॉस्ट
1	2	3	4
छ	गैली	20 ^(क) (ख)	40 ^(ख)
ज	स्वच्छता आवासन, ड्राइंग रूम(सुखाने का कक्ष) और पेंट्री	10	20
झ	स्थायी अस्पतालों में वार्ड	12	--
		या इससे अधिक संख्या जिसके परिणामस्वरूप कक्ष में प्रत्येक बिस्तर हेतु प्रति मिनट 1.42 घनमी ताजा हवा से कम की आपूर्ति न हो	
ञ	सूखे सामान के भंडार कक्ष	10 से कम नहीं और 20 से ज्यादा नहीं	--

(क) गैली की यदि कम से कम 2 साइडों पर मौसम की मार पड़ती हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार किसी पोत को अपनी संतुष्टि की सीमा तक इन अपेक्षाओं का पालन करने से छूट प्रदान करें जहां उसे लगता हो कि गैली में लगे उपस्कर के इन्सूलेशन की वजह से या गैली के आकार के कारण इनकी आवश्यकता नहीं हैं।

तीसरी अनुसूची

[अनुसूचित 1 पैरा 1(11) (क) देखें]

1. शयन कक्षों को मार्क किया जाना

समुद्रकर्मियों (यों) हेतु प्रमाणित (*)

2. शयन कक्षों छोड़कर अन्य स्थानों को मार्क करना

(मुख्य अधिकारी)/(मास्टर/चीफ इंजीनियर)/(**) के लिए प्रमाणित

अधिकारियों के लिए प्रमाणित (*)

(*) (रेटिंग)/(पेटी अधिकारी) के लिए प्रमाणित

(*) यहां उन अधिकारियों/समुद्रकर्मियों की अधिकतम संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी जिन्हें इन नियमों के अनुसरण में कक्ष में रखा जाना हो।

(**) यदि यह कक्ष किसी अन्य अधिकारी के एकल प्रयोग हेतु यदि यह कक्ष अभिप्रेत हो तो उस अधिकारी का रैंक यहां स्थानापन्न कर दिया जाएगा।

चौथी अनुसूची

[अनुसूची 1 पैरा 3(3) देखें]

बिजली की रोशनी :

परिभाषा : सामान्य मापन बिन्दु का अर्थ किसी ऐसे स्थान से संबंधित है जो बिन्दु निम्नलिखित बिन्दुओं से होकर खड़ी काल्पनिक पंक्ति में फर्श के ऊपर 850 मिमी की ऊँचाई पर मापे गए हों:-

- उस जगह पर लगे हुए हर दो लैम्पों के बीच का हर बिन्दु;
- वह हर बिन्दु जो मेडवे के बीच हो और लैम्प तथा उस जगह की बाउंड्री की किसी ऐसी जगह हो जहां से किसी अन्य लैम्प से यह लैम्प अपेक्षाकृत रूप से पास हो; और
- जहां जगह के किसी भाग में मुक्त रूप से चलने के लिए हो उसे लैम्प की सीधी किरणों से ढका गया हो इस तरह ढकी हुई जगह के केन्द्रीय बिन्दु के स्थान के चारदिवारी में रिएन्ट्रेंट कोण बने।

(क) शयन कक्ष और दिवस कक्ष:

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर	50 लक्स
(2)	हर आइने में	200 लक्स
(3)	राइटिंग डैक या टेबल की हर सीट पर	150 लक्स
(4)	एक से अधिक व्यक्ति के प्रयोग हेतु शयन कक्ष में उपलब्ध करवायी गई आधी सीटों से कम न हो (ऊपर (3) में लिखी गई को छोड़कर)	150 लक्स

(ख) भोजन कक्ष:

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर	100 लक्स
(2)	प्रत्येक टेबल और सिंक में हर आइने में	150 लक्स

(ग) मनोरंजनात्मक कक्ष (फिल्में देखने और टीवी देखने की रुचियों तथा गेम्स रूम सहित) :

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर	50 लक्स
(2)	प्रत्येक मनोरंजनात्मक टेबल पर	100 लक्स
(3)	राइटिंग डैक या टेबल की हर सीट पर	150 लक्स
(4)	उतनी सीटों पर जो आधी से कम न हों (ऊपर (3) में लिखी गई को छोड़कर)	150 लक्स

(घ) अस्पताल

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर	50 लक्स
(2)	हर प्रसाधन में	200 लक्स
(3)	हर बिस्तर के ऊपर की ओर उपलब्ध कराए जाने वाले पैरा (3) के उप पैरा (2) द्वारा अपेक्षित पढ़ने के लिए बिजली के लैम्प के अलावा कम से कम एक फिक्स लैम्प लगाया जाएगा	150 लक्स

(ङ) कार्यालय और अध्ययन:

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर	100 लक्स
(2)	राइटिंग डेस्क या टेबल की हर सीट पर	200 लक्स

(च) स्वच्छता आवासन (अस्पताल के स्वच्छता आवासन सहित):

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर	50 लक्स
(2)	प्रत्येक आईने में	200 लक्स

(छ) लांड्री:

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर	100 लक्स
-----	--------------------------	----------

(ज) सुखाने का कक्ष:

(1)	स्थानों के केन्द्र में	50 लक्स
-----	------------------------	---------

(झ) गेली (बेकरियों और पेंट्रियों सहित) :

(1)	कार्य की जगह पर रोशनी इस तरह से डाली जाएगी कि यह सुनिश्चित हो सके अलमारियों और सेल्फों पर अधिकतम मात्रा में प्रकाश पड़ रहा है	300 लक्स
-----	---	----------

(ज) सूखे सामान का भंडार कक्ष और कोल्ड स्टोर रूम:

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर रोशनी इस तरह से डाली जाएगी कि यह सुनिश्चित हो सके अलमारियों और सेल्फों पर अधिकतम मात्रा में प्रकाश पड़ रहा है	100 लक्स
-----	--	----------

(ट) पैसेजवे कंपेनियनवे और ढके हुए डैक मनोरंजन स्थान :

(1)	सामान्य मापन बिन्दुओं पर	50 लक्स
-----	--------------------------	---------

रोशनी इन पर डाली जाएगी-

(क) प्रत्येक सीढ़ी मार्ग, लैडर और हैचवे के ऊपर, और

(ख) मोमजामों या काम करने के कपड़ों के लिए दिए गए लॉकरों पर या उनके पास

पांचवी अनुसूची

सीफियरर आवासन का प्रमाण पत्र

[नियम 6 देखें]

सीफियरर आवासन का प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन

वाणिज्य पोत परिवहन (सीफियरर आवासन) नियम 2016

के उपबंधों के अधीन जारी किया गया

पोत का नाम	विशिष्ट नंबर या कॉल साइन	आईएमओ नं.	रजिस्ट्री का पत्तन	सकल टनभार	नौतल रखे जाने की तारीख*

पोत का प्रकार :

प्रचालन का क्षेत्र : असीमित/ प्रतिबंधित(अभ्युक्तियां देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है

कि उपर्युक्त के सीफियरर आवासन तथा अन्य संबंधित स्थानों का सर्वेक्षण वाणिज्य पोत परिवहन (सीफियरर आवासन) नियमावली, 2016 के नियम 5 और एमएलसी, 2006 के अनुसरण में कर लिया गया है तथा यह पाया गया है कि पोत उन नियमों के उपबंधों के अनुरूप है।

नीचे दिए अनुसार अधिकतम.....समुद्रकर्मियों के लिए आवासन व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं.

मास्टर : व्यक्ति

अधिकारी : व्यक्ति

पेटी अधिकारी : व्यक्ति

रेटिंग : व्यक्ति

कुल : व्यक्ति

यदि कोई छूट दी गई हो तो :

अभ्युक्तियां :

तारीख : को स्थान: में जारी किया गया ।

जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पदनाम : जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

[फा. सं. एसआर-23011/2/2015-एमजी]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2016.

G.S.R. 824(E).—Whereas, draft of the Merchant Shipping (Seafarer Accommodation) Rules, 2016 were published, as required by sub-section (1) of Section 175 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) vide G.S.R. 346(E), dated the 28th March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 28th March, 2016;

And whereas one objection or suggestion has been received and considered on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 175 read with section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Seafarer Accommodation) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to every ship registered or so required to be registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) except ships engaged in fishing activities, traditionally built ships such as dhows and junks, and ships of war or naval auxiliaries:

Provided that the requirements under these rules which relate to ship construction and equipment shall not apply in the case of ships the keel of which was laid or was at a similar stage of construction before the coming into force of these rules:

Provided further that such ships comply with the requirements specified in the Merchant Shipping (Crew Accommodation) Rules, 1960, as in force immediately before the coming into force of these rules.

Provided also that the provisions of these rules shall not apply to any ship plying in voyages within territorial waters, the seafarers of which are not required to stay on board overnight for periods exceeding eight hours.

Explanation 1— A ship shall be deemed to have been constructed on the date when its keel is laid or when it is at a similar stage of construction.

Explanation 2.— For the purpose of this sub-rule "similar stage of construction" means a stage at which assembly of that ship has commenced comprising of at least fifty tonnes or one per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);
- (b) "approved" means approved or accepted by the Directorate;
- (c) "Directorate" means the office of the Director General or a person or a body of persons so authorised to act on behalf of the Director General by the Central Government;
- (d) "gross tonnage" means the measure of the overall size of a ship determined in accordance with the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of ships) Rules, 1987.
- (e) "Merchant Shipping Notice" means a notice described as such and issued by the Directorate;
- (f) "new ship" means a ship constructed on or after coming into force of these rules;
- (g) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

- (h) “ship-owner” means the owner of a ship, or any body of persons or any person such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from such owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on such owner in accordance with these rules, regardless of whether any other body of persons or persons fulfill certain of the duties or responsibilities on behalf of the owner of a ship.;
- (i) “special purpose ships” means ships constructed in compliance with the Special Purpose Ships Code (IMO Code of Safety for Special Purpose Ships, 1983, and its subsequent versions);
- (j) “surveyor” means a surveyor appointed under section 9 of the Act;
- (k) “trunked mechanical ventilation system” means a system of ventilation complying with the specifications set forth in the Second Schedule
- (1) “washing accommodation” does not include any sleeping room or hospital ward, whether or not provided with a wash basin, bath or shower; or any room appropriated for use only as a laundry.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. No structure shall be deemed to be watertight, gastight, or oil tight for the purposes of these rules unless all openings in that structure, other than ventilation openings necessary for the admission of air from passageways to sanitary accommodation, laundries, drying rooms or galleys, are provided with means of closure which shall enable such openings to be made watertight, gastight or oil tight, as the case may be.

4. Seafarer accommodation. — Every ship shall provide and maintain, as a minimum, decent accommodation and recreational facilities for seafarers working or living on board, or both, consistent with promoting the seafarers’ health and well-being, as per the provisions of the First Schedule.

5. Plans.— (1) The ship-owner of every Indian ship to which these rules apply, shall submit the plan or plans of the ship for approval to the Directorate or to a body of persons authorised by the Director General in this respect.

(2) The plans, drawn in a suitable scale, shall clearly show the arrangement of the seafarer accommodation in the ship, its position in relation to other spaces, constructional details, various dimensions, furniture, fixtures and amenities provided therein.

(3) Before any alteration or reconstruction is carried out in the seafarer accommodation, the ship-owner of an Indian Ship shall submit to the Directorate or to a body of persons authorised by the Director General in this respect, plans showing the proposed alteration or reconstruction relating to the seafarer accommodation for approval, and the ship’s seafarer accommodation shall comply with the plan as may be approved by the Directorate or such body of persons.

6. Certification and verification.— (1) On being satisfied that an Indian ship has been provided with seafarer accommodation in accordance with these rules, a ‘record of compliance’ may be issued to such ship by the directorate or a body of persons authorised by the Director General, in the form provided in the Fifth Schedule.

(2) The seafarer accommodation facilities and its maintenance on a ship, as per these rules, shall be verified during the initial, intermediate, renewal and additional surveys associated with the Maritime Labour Certificate and Declaration of Maritime Labour Compliance.

(3) The survey of seafarer accommodation of an Indian ship shall be carried out by a surveyor.

7. Application of relevant provisions of Maritime Labour Convention 2006 to ships other than Indian ships.— A ship, other than an Indian ship, may be inspected by a surveyor, when the ship is in one of the ports, anchorages or offshore terminals in India, to determine whether the ship is in compliance with the requirements of the relevant provisions of the Maritime Labour Convention, 2006 and carry out control measures in accordance with such convention.

8. Equivalent arrangements.— The Director General may accept equivalent arrangements on a ship or deviations from the requirements specified in these rules, when such deviations can be clearly justified, subject to protecting the seafarers’ living conditions, health and safety. The Director General may pass an appropriate order with regard to such deviations or equivalent arrangements.

FIRST SCHEDULE

(See rule 4)

1 General requirements for accommodation:— (1) The accommodation, recreational and catering facilities shall be designed to meet the requirements of these rules, with regard to seafarers’ health and safety, protection and accident prevention, prevention of the risk of exposure to hazardous levels of noise and vibration and other ambient factors and chemicals on board ships. The construction and arrangement of the accommodation shall provide an acceptable occupational and onboard living environment for the seafarers.

- (2) All paneling, insulation, flooring and ceiling shall be of a non-combustible material and of an approved type.
- (3) Asbestos, or materials containing asbestos, shall not be used for any purpose in the seafarer accommodation.
- (4) The accommodation shall be adequately insulated.
- (5) Proper lighting and sufficient drainage shall be provided in the seafarers accommodation areas.
- (6) Paints, varnishes and other finishes used on interior surfaces in the seafarer accommodation shall be of approved type, and shall not be capable of producing excessive quantities of smoke and toxic products.
- (7) Position of Seafarer Accommodation.— (a) In ships other than passenger ships and special purpose ships (SPS), sleeping rooms shall be situated above the loadline amid ships or aft, except that in exceptional cases, where the size, type or intended service of the ship renders any other location impracticable, sleeping rooms may be located in the fore part of the ship, but in no case forward of the collision bulkhead.
- (b) In passenger ships and special purpose ships (SPS), the Director General may, on condition that satisfactory arrangements are made for lighting and ventilation, permit the location of sleeping rooms below the load line, but in no case shall they be located immediately beneath working alleyways.
- (c) There shall be adequate headroom in all seafarer accommodation; the minimum permitted headroom in all seafarer accommodation where full and free movement is necessary shall be not less than 203 centimeters. The Director General may permit some limited reduction in headroom in any space, or part of any space, in such accommodation where he is satisfied that such reduction,—
- (i) is reasonable; and
 - (ii) shall not result in discomfort to the seafarers.
- (8) Construction of Bulkheads and Paneling.— (a) External bulkheads of sleeping rooms and mess rooms shall be adequately insulated. All machinery casings and all boundary bulkheads of galleys and other spaces in which heat is produced shall be adequately insulated where there is a possibility of resulting heat effects in adjoining accommodation or passageways. Measures shall also be taken to provide protection from heat effects of steam and hot-water service pipes.
- (b) Sleeping rooms, mess rooms, recreation rooms and alleyways in the accommodation space shall be adequately insulated to prevent condensation and overheating.
- (c) The bulkhead surfaces and deck heads shall be of material with a surface easily kept clean. No form of construction likely to harbour vermin shall be used.
- (d) The bulkhead surfaces and deck heads in sleeping rooms and mess rooms shall be capable of being easily kept clean and light in colour with a durable, non-toxic finish.
- (e) The decks in all seafarer accommodation shall be of approved material and construction and shall provide a non-slip surface impervious to damp and easily kept clean.
- (f) Where the floorings are made of composite materials, the joints with the sides shall be profiled to avoid crevices.
- (g) The materials used to construct internal bulkheads, paneling and sheeting, floors and joining shall be suitable for the purpose and conducive to ensure a healthy environment.
- (h) In every ship to which these rules apply, all bulkheads enclosing or within any part of the seafarer accommodation shall be properly constructed of steel or other suitable material. If the bulkheads are exposed to the weather, they shall be of watertight and gastight construction, and means of closure shall be provided for all openings in such bulkheads so as to enable them to be made weather tight.
- (i) There shall be no direct openings into sleeping rooms from cargo spaces or machinery spaces or from galleys, store rooms, drying rooms or communal sanitary areas. That part of a bulkhead separating such spaces from sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently constructed of steel or other approved substance and be watertight and gas-tight.
- (9) Protection from weather, etc.— (a) The seafarer accommodation shall be accessible at all times from the open deck.
- (b) Chain pipes, and ventilator trunks to cargo spaces or tanks, where they pass through any part of the seafarer accommodation, shall be made of steel or other suitable material and shall be gastight.

(c) Batteries for the operation of the ship's radio installation or other purposes, shall not be placed in any sleeping room provided for the seafarer, and precautions shall be taken which will ensure that fumes from such batteries do not discharge into any part of the seafarer accommodation.

(d) Any part of the seafarer accommodation which is adjacent to any part (other than the crown) of a tank in which oil may be carried in bulk, shall be separated there from by a gastight steel division, in addition to the division which retains the oil.

(e) If any part of the seafarer accommodation is situated on a deck which forms the crown of a space in which oil may be carried in bulk, such deck shall be oil tight. No manholes or other openings to the oil tanks shall be situated in the seafarer accommodation.

(f) The means of access to and egress from every part of the seafarer accommodation shall be so situated that in the event of fire in any lamp room or paint room in the ship, access to and egress from the seafarer accommodation shall not be impeded.

(10) Drainage.— (a) In every ship to which these rules apply, efficient drainage shall be provided for every part of the seafarer accommodation situated on an open deck wherever such drainage is necessary for clearing water shipped from the sea.

(b) There shall be no drainage from any source (not being sanitary accommodation) into the sanitary accommodation forming part of the seafarer accommodation.

(11) Marking.— (a) Every space forming part of the seafarer accommodation of a ship shall be marked inside the room with the marking specified in the Third Schedule.

(b) No space forming part of the seafarer accommodation of a ship to which these rules apply, shall be marked whether inside or outside with any marking which may be taken to indicate that the space is appropriated for use by persons differing in number of description from the persons for whose use the space has been certified by a surveyor.

(12) Drinking Water.— (a) In every ship to which these rules apply, the drinking water of appropriate quality, taking into account the total number of persons on board, shall always be provided in the seafarer accommodation. Provision for cold drinking water shall be made in the galleys and pantries and in the mess rooms.

(b) Provision may also be made for the availability of cold drinking water in close proximity to the spaces where watch-keeping seafarers are on duty.

(c) The storage, filling and distribution arrangements for drinking water shall be such as to prevent any possible contamination. A dry space, such as cofferdam, shall be provided between drinking water tanks and other tanks such as oil tanks and sewage tanks. Drinking water tanks shall not contain any piping other than that necessary for the carriage and distribution of drinking water. Air, filling and sounding pipes shall stand sufficiently above the deck.

2. Ventilation, Air-conditioning and Heating.— (1) (a) Sleeping rooms and mess rooms shall be adequately ventilated.

(b) Ships, except those regularly engaged in trade where temperate climatic conditions do not require this, shall be equipped with air conditioning for seafarer accommodation, for separate radio room and for any centralised machinery control room. Ships below 200 gross tons are exempted from this requirement subject to provision of trunked mechanical ventilation.

(c) All sanitary spaces shall have ventilation to the open air independently of any other part of the accommodation.

(d) The system of ventilation for sleeping rooms and mess rooms shall be controlled so as to maintain the air in a satisfactory condition and to ensure sufficiency of air movement in all conditions of weather and climate.

(e) Air-conditioning systems whether of a centralised or individual unit type, shall be designed to,—

(i) maintain the air at a satisfactory temperature and relative humidity as compared to outside air conditions, ensure a sufficiency of air changes in all air-conditioned spaces, take account of the particular characteristics of operations at sea and not produce excessive noises or vibrations; and

(ii) facilitate easy cleaning and disinfection to prevent or control the spread of disease.

(f) Power for the operation of the air conditioning and other aids to ventilation required by the preceding paragraphs of this Schedule shall be available at all times when seafarers are living or working on board and conditions so require. However, this power need not be provided from an emergency source.

(g) Ships, which are exclusively engaged in trade outside tropical climate areas, shall be provided with a ventilation system which will maintain the air therein in a state of purity adequate for the health and comfort of the seafarer. Such system shall be capable of being so controlled as to ensure a sufficiency of air movement under all

conditions of weather and climate to which the ship is likely to be subjected during the voyages on which she is intended to be engaged and shall be additional to any side scuttles, skylights, companions, doors or other apertures not intended solely for ventilation.

(h) The trunked mechanical system provided on a ship shall comply with the requirements specified at Second Schedule.

(i) Every enclosed space forming part of the seafarer accommodation of a ship, being a space not fully air-conditioned or not ventilated by a trunked mechanical ventilation system, shall be provided with a natural system of inlet and exhaust ventilation.

(j) In the seafarer accommodation of every ship, being a ship not fully air conditioned, an electric fan shall be fitted in every sleeping room, mess room, recreation room, office, Galley and pantry.

(2) The air conditioning system, whether of a centralised type or individual unit type shall be so designed as to—

- (i) maintain the air at a satisfactory temperature of 28° with 50 per cent relative humidity when ambient temp is 35°C with 70 per cent relative humidity;
- (ii) ensure eight air changes per hour in any mess room or recreation room and six air changes in any other room, the amount of re-circulated air not exceeding 50 per cent at any stage, while at sea;
- (iii) take into account particular characteristics of operations at sea so as to avoid producing objectionable noises or vibrations; and
- (iv) facilitate easy cleaning and disinfection to prevent and control of spread of disease.

(3) (a) Adequate heat through an appropriate heating system shall be provided, except in ships exclusively on voyages in tropical climates.

(b) The system of heating the seafarer accommodation, when required under these rules, shall be in operation at all times when seafarers are living or working on board and conditions require its use:

Provided that while the ship is in port, the heating system shall not be required to be in operation, if efficient temporary means of heating are provided for such parts of the seafarer accommodation as are in use.

(c) In all ships in which a heating system is required, the heating should be by means of hot water, warm air, electricity, steam or equivalent. However, within the accommodation area, steam shall not be used as a medium for heat transmission. The heating system shall be capable of maintaining the temperature in seafarer accommodation at a satisfactory level under normal conditions of weather and climate likely to be met within the trade in which the ship is engaged.

(d) Radiators and other heating apparatus shall be placed and, where necessary, shielded so as to avoid risk of fire or danger or discomfort to the occupants.

3. Lighting.—(1) In all ships, electric light should be provided in the seafarer accommodation. If there are no two independent sources of electricity for lighting, additional lighting should be provided by properly constructed lamps or lighting apparatus for emergency use.

(2) In sleeping rooms an electric reading lamp should be installed at the head of each berth.

(3) The standards of artificial lighting shall comply with standards in the Fourth Schedule.

(4) In addition, every sleeping room and mess room in a ship shall be properly lighted by natural light:

Provided that if in any space in a passenger ship it is impracticable to provide proper natural lighting, such lighting shall not be required if adequate electric lighting is always available in that space.

(5) The natural lighting of a sleeping room or mess room, or the artificial light in any space, shall be deemed to be proper for the purpose of this Schedule if it is sufficient to enable an ordinary newspaper to be read by a person of normal vision at any point in the room, being a point available for free movement, during day time and in clear weather.

4. Sleeping Accommodation.—(1) When sleeping accommodation on board ships is required, the following requirements for sleeping rooms shall apply—

(a) in ships other than passenger ships, an individual sleeping room shall be provided for each seafarer. However, in the case of ships of less than 3,000 gross tonnage or special purpose ships, the maximum number of seafarers accommodated in sleeping rooms shall not exceed the following namely:-

- (i) for ships between 3000 gross tons and 500 gross tons: Master, Chief Engineer, navigating and engineer officers in charge of a watch- 1 person per room.
- (ii) for ships below 500 gross tons: Master and Chief Engineer- 1 person per room

- (iii) seafarers other than (i) and (ii) above: Not more than 2 persons per room.
- (b) Separate sleeping rooms shall be provided for men and women.
- (c) Sleeping rooms shall be of adequate size and properly equipped so as to ensure reasonable comfort and to facilitate tidiness.
- (d) A separate berth for each seafarer shall in all circumstances be provided.
- (e) The minimum inside dimensions of a berth shall be at least 198 centimetres by 80 centimetres.
- (f) In single berth seafarers' sleeping rooms the floor area shall not be less than—
 - (i) 4.5 square metres in ships of less than 3,000 gross tonnage;
 - (ii) 5.5 square metres in ships of 3,000 gross tonnage or over but less than 10,000 gross tonnage; and
 - (iii) 7 square metres in ships of 10,000 gross tonnage or over.
- (g) However, in order to provide single berth sleeping rooms on ships of less than 3,000 gross tonnage, passenger ships and special purpose ships, the Director General of Shipping may allow a reduced floor area;
- (h) In ships of less than 3,000 gross tonnage other than passenger ships and special purpose ships, sleeping rooms may be occupied by a maximum of two seafarers; the floor area of such sleeping rooms shall not be less than 7 square metres.
 - (i) On passenger ships and special purpose ships, the floor area of sleeping rooms for seafarers not performing the duties of ships' officers shall not be less than:-
 - (I) 7.5 square metres in rooms accommodating two persons;
 - (II) 11.5 square metres in rooms accommodating three persons; and
 - (III) 14.5 square metres in rooms accommodating four persons.
 - (j) On special purpose ships, sleeping rooms may accommodate more than four persons; the floor area of such sleeping rooms shall not be less than 3.6 square metres per person.
 - (k) On ships other than passenger ships and special purpose ships, sleeping rooms for seafarers who perform the duties of ships' officers, where no private sitting room or day room is provided, the floor area per person shall not be less than—
 - (i) 7.5 square metres in ships of less than 3,000 gross tonnage;
 - (ii) 8.5 square metres in ships of 3,000 gross tonnage or over but less than 10,000 gross tonnage; and
 - (iii) 10 square metres in ships of 10,000 gross tonnage or over.
- (l) On passenger ships and special purpose ships the floor area for seafarers performing the duties of ships' officers where no private sitting room or day room is provided, the floor area per person for junior officers shall not be less than 7.5 square metres and for senior officers not less than 8.5 square metres; junior officers are understood to be at the operational level, and senior officers at the management level.
- (m) On ships of 3000 gross tons and above, the master, the chief engineer and the chief navigating officer shall have, in addition to their sleeping rooms, an adjoining sitting room, day room or equivalent additional space consideration shall be given to the second engineer officer when practicable.
- (n) For each occupant, the furniture shall include a clothes locker of ample space (minimum 475 litres) and a drawer or equivalent space of not less than 56 litres; if the drawer is incorporated in the clothes locker then the combined minimum volume of the clothes locker shall be 500 litres; it shall be fitted with a shelf and be able to be locked by the occupant so as to ensure privacy.
- (o) Each sleeping room shall be provided with a table or desk, which may be of the fixed, drop-leaf or slide-out type, and with comfortable seating accommodation as necessary.
- (p) There shall be adequate berth arrangements on board, making it as comfortable as possible for the seafarer and any partner who may accompany the seafarer.
- (q) Where the size of the ship, the activity in which it is to be engaged and its layout make it reasonable and practicable, sleeping rooms shall be planned and equipped with a private bathroom, including a toilet, so as to provide reasonable comfort for the occupants and to facilitate tidiness.
- (r) As far as practicable, sleeping rooms of seafarers shall be so arranged that watchers are separated and that no seafarers working during the day share a room with watchkeepers.

- (s) In the case of seafarers performing the duty of petty officers there shall not be more than two persons per sleeping room.
- (t) Space occupied by berths and lockers, chests of drawers and seats shall be included in the measurement of the floor area. Small or irregularly shaped spaces which do not add effectively to the space available for free movement and cannot be used for installing furniture shall be excluded.
- (u) Berths shall not be arranged in tiers of more than two. In the case of berths placed along the ship's side, there should be only a single tier where a sidelight is situated above a berth.
- (v) The lower berth in a double tier should be not less than 30 centimeters above the floor; the upper berth should be placed approximately midway between the bottom of the lower berth and the lower side of the deck head beams.
- (w) The framework and the lee-board, if any, of a berth should be of approved material, hard, smooth, and not likely to corrode or to harbour vermin.
- (x) If tubular frames are used for the construction of berths, they should be completely sealed and without perforations which would give access to vermin.
- (y) Each berth should be fitted with a comfortable mattress with cushioning bottom or a combined cushioning mattress, including a spring bottom or a spring mattress. The mattress and cushioning material used should be made of approved material. Stuffing of material likely to harbour vermin should not be used.
- (z) When one berth is placed over another, a dust-proof bottom should be fitted beneath the bottom mattress or spring bottom of the upper berth.
- (za) The furniture should be of smooth, hard material not liable to warp or corrode.
- (zb) Sleeping rooms should be fitted with curtains or equivalent for the sidelights.
- (zc) Sleeping rooms should be fitted with a mirror, small cabinets for toilet requisites, a book rack and a sufficient number of coat hooks.
- (zd) A curtain shall be fitted to each bed, unless the room accommodates only one person.
5. Mess Rooms.— (1) Mess rooms shall be located apart from the sleeping rooms and as close as practicable to the galley.
- (2) Mess rooms shall be of adequate size and comfort and properly furnished and equipped (including ongoing facilities for refreshment), taking account of the number of seafarers likely to use them at one time.
- (3) Mess room facilities may be either common or separate. Account should be taken of factors such as the size of the ship and the distinctive cultural, religious and social needs of the seafarers.
- (4) Where separate mess room facilities are to be provided to seafarers, then separate mess rooms should be provided for—
- (a) master and officers; and
- (b) petty officers and other seafarers.
- (5) On ships other than passenger ships, the floor area of mess rooms for seafarers should be not less than 1.5 square metres per person of the planned seating capacity.
- (6) In all ships, mess rooms should be equipped with tables and appropriate seats, fixed or movable, sufficient to accommodate the greatest number of seafarers likely to use them at any one time.
- (7) There should be available at all times when seafarers are on board—
- (a) a refrigerator, which should be conveniently situated and of sufficient capacity for the number of persons using the mess room or mess rooms;
- (b) facilities for hot beverages; and
- (c) cool water facilities.
- (8) Where available pantries are not accessible to mess rooms, adequate lockers for mess utensils and proper facilities for washing utensils should be provided.
- (9) The tops of tables and seats should be of damp-resistant material.
- (10) In every ship to which these rules apply, the following equipment shall be fitted in every mess room or in a pantry readily accessible at all times by the crew using the mess room or adjacent to it, or, in the case of ship under 3000 tons in a galley—

- (a) a storage locker;
- (b) supply of cold drinking water;
- (c) means of heating drinking water for hot beverages; and
- (d) a microwave oven.

6. Sanitary facilities:— (1) All seafarers shall have convenient access on the ship to sanitary facilities meeting minimum standards of health and hygiene and reasonable standards of comfort, with separate sanitary facilities being provided for men and women;

(2) On ships of more than 3,000 gross tons, there shall be sanitary facilities within easy access of the navigating bridge and the machinery space or near the engine room control centre.

(3) In every ship, a minimum of one toilet, one wash basin and one tub or shower or both for every six persons or less who do not have personal facilities shall be provided at a convenient location.

(4) In every ship other than a passenger ship, each sleeping room shall be provided with a wash basin having hot and cold running fresh water, except where such a wash basin is situated in the private bathroom provided. Ships below 200 gross tons need not meet this requirement.

(5) In passenger ships normally engaged on voyages of not more than four hours' duration, one water closet to be provided for 12 passengers and not less than one urinal to be separately provided for gents and ladies.

(6) Hot and cold running fresh water shall be available in all wash places.

(7) Wash basins and tub baths should be of adequate size and constructed of approved material with a smooth surface not liable to crack, flake or corrode.

(8) All toilets should be provided with an ample flush of water or with some other suitable flushing means, such as air, which are available at all times and independently controllable.

(9) Sanitary accommodation intended for the use of more than one person should comply with the following, namely:—

- (a) Floors should be of approved durable material, impervious to damp, and should be properly drained.
- (b) Bulkheads should be of steel or other approved material and should be watertight up to at least 23 centimeters above the level of the deck:

Provided that the requirements of this sub-para shall not apply to bulkheads separating similar spaces (e.g., a sanitary accommodation from another sanitary accommodation) or a bulkhead separating the sanitary accommodation from a sleeping room from which it may be directly entered.

- (c) The accommodation should be sufficiently lit, heated and ventilated.
- (d) Toilets should be situated convenient to, but separate from, sleeping rooms and wash rooms, without direct access from the sleeping rooms or from a passage between sleeping rooms and toilets to which there is no other access; this requirement does not apply where a toilet is located in a compartment between two sleeping rooms having a total of not more than four seafarers; and
- (e) Where there is more than one toilet in a compartment, they should be sufficiently screened to ensure privacy.

(10) The laundry facilities provided for seafarers' use should include:—

- (a) washing machines;
- (b) drying machines or adequately heated and ventilated drying rooms; and
- (c) irons and ironing boards or their equivalent.

For vessels below 500 gross tons, a washing-cum-drying machine may be provided instead of washing and drying machines.

7. Hospital accommodation:— (1) Every ship, carrying 15 or more seafarers and engaged in a voyage of more than three days' duration, except those engaged in coastal trade, shall have separate hospital accommodation to be used exclusively for medical purposes. The space so appropriated shall not at any time be used for any purpose other than for the treatment of sick persons. Any ship engaged exclusively on the coastal trade of India, need not have separate hospital, if a space is designated for use as a temporary hospital in case of emergency. The area and layout of such designated space shall be so made that an injured person on stretcher can easily be carried into the space and provided medical first aid.

- (2) The hospital accommodation shall, in all weathers, be easy of access, provide comfortable housing for the occupants and be conducive to their receiving prompt and proper attention.
- (3) The hospital accommodation shall be designed so as to facilitate consultation and the giving of medical first aid and to help prevent the spread of infectious diseases.
- (4) The arrangement of the entrance, berths, lighting, ventilation, heating and water supply should be designed to ensure the comfort and facilitate the treatment of the occupants.
- (5) The number of hospital berths required shall be in the scale of at least one berth for every 50 seafarers or part thereof.
- (6) Sanitary accommodation should be provided for the exclusive use of the occupants of the hospital accommodation, either as part of the accommodation or in close proximity thereto. Such sanitary accommodation should comprise a minimum of one toilet, one wash basin and one tub or shower.
- (7) The minimum width of the entrance to every permanent hospital shall not be less than 76 centimeters.
- (8) Fittings and equipment. — Every hospital shall be provided with—
- a clothes locker approximately 30 centimeter square by 61 centimeters high, and fitted with a flat top and a shelf; and
 - an electric bell-pushes so arranged as to be within reach of each bed and communicating with the sleeping room of a person in charge of the patients and the bridge.
8. Miscellaneous.— (1) In every ship, adequately ventilated compartments or lockers shall be provided for hanging oilskins and working clothes used by the seafarers.
- (2) Where separate facilities for engine department personnel to change their clothes are provided, they should be—
- located outside the machinery space but with easy access to it; and
 - fitted with individual clothes lockers as well as with tubs or showers or both and wash basins having hot and cold running fresh water.
- (3) Airing Spaces on open deck.— All ships shall have a space or spaces on open deck to which the seafarers can have access when off duty, which are of adequate area having regard to the size of the ship and the number of seafarers on board.
- (4) Office Accommodation.— All ships of more than 3,000 gross tons shall be provided with separate offices or a common ship's office for use by deck and engine departments.
- (5) Bedding, Mess utensils and miscellaneous provisions.—The ship-owner of every ship shall provide the following for the seafarers—
- clean bedding and mess utensils should be supplied by the ship-owner to all seafarers for use on board during service on the ship, and such seafarers should be responsible for their return at times specified by the master and on completion of service in the ship;
 - bedding should be of good quality, and plates, cups and other mess utensils should be of approved material which can be easily cleaned; and
 - towels, soap and toilet paper for all seafarers should be provided by the ship-owner.
- (3) Protection from Mosquitoes.— (a) Ships regularly trading to mosquito-infested ports shall be provided with protection against the admission of mosquitoes. Such protection shall be provided by means of self closing doors or by screens of rust proof wire or other suitable material which shall be fitted to all side scuttles, natural ventilators, skylights and doors leading to the open deck.
- (b) Any door to which such screens are fitted being a door at the entrance to a permanent or temporary hospital in a ship to which these paragraph apply, shall be of a self-closing type.
9. Recreation facilities:— (1) On every ship, appropriate seafarers' recreational facilities, amenities and services, as adapted to meet the special needs of seafarers who must live and work on ships, shall be provided on board for the benefit of all seafarers.
- (2) Recreational facilities and services should be reviewed frequently to ensure that they are appropriate in the light of changes in the needs of seafarers resulting from technical, operational and other developments in the shipping industry.
- (3) Furnishings for recreational facilities should as a minimum include a bookcase and facilities for reading, writing and, where practicable, games.

- (4) The following facilities may also be provided, at no cost to the seafarer, where practicable—
- (a) smoking room;
 - (b) television viewing and the reception of radio broadcasts;
 - (c) showing of films, the stock of which should be adequate for the duration of the voyage and, where necessary, changed at reasonable intervals;
 - (d) sports equipment including exercise equipment, table games and deck games;
 - (e) facilities for swimming;
 - (f) a library containing vocational and other books, the stock of which should be adequate for the duration of the voyage and changed at reasonable intervals;
 - (g) facilities for recreational handicrafts;
 - (h) electronic equipment such as a radio, television, video recorders, digital video disc or compact disc player, personal computer and software and cassette recorder or player;
 - (i) where appropriate, the provision of bars on board for seafarers unless these are contrary to national, religious or social customs; and
 - (j) reasonable access to ship-to-shore telephone communications, and e-mail and Internet facilities, where available, with any charges for the use of these services being reasonable in amount.
10. Maintenance and Inspection of Seafarer Accommodation.— (1) (a) The seafarer accommodation in every ship to which these rules apply, shall be maintained in a clean and habitable condition and equipments and installations required by these rules shall be maintained in good working order. Every part of the seafarer accommodation (not being a store room) shall be kept free of store and other property not belonging to or provided for the use of persons for whom that part of the accommodation is appropriated, and in particular, no cargo shall be kept in any part of the seafarer accommodation.
- (b) The Master of the ship, or an officer appointed by him for the purpose, accompanied by one or more members of the seafarer, shall inspect every part of the seafarer accommodation at least once in two weeks to ensure that seafarer accommodation is clean, decently habitable and maintained in a good state of repair. The results of each such inspection shall be recorded and be available for review. The Master of the ship shall cause to be entered in a book specially kept for the purpose a record of—
- (i) the time and date of the inspection;
 - (ii) the names and ranks of the persons making the inspection; and
 - (iii) particulars in which the seafarer accommodation or any part thereof was found by any of the persons making the inspection not to comply with these rules.
- (2) Inspection by a Surveyor.— The seafarer accommodation in a ship shall be inspected by a Surveyor whenever—
- (i) the ship is registered or re-registered in India ;
 - (ii) any part of the seafarer accommodation in the ship undergoes substantial alterations or repairs ;
 - (iii) the number of persons accommodated in any space is increased above that marked in accordance with sub-paragraph (11) of paragraph 1; and
 - (iv) in the opinion of a Surveyor, there is reason to believe (whether or not in consequence of a complaint) that any of the provisions of these rules has been contravened in respect of that ship, or that any condition subject to which the Directorate has exempted the ship from a requirement of these rules has not been satisfied;
 - (v) a request for an inspection of the seafarer accommodation has been made to the Directorate or to the Mercantile Marine Department, by or on behalf of the ship-owner of the ship or of any organisation which appears to the representative of the ship-owners of Indian ships or of the seafarer concerned; or
 - (vi) a complaint has been lodged with an officer duly authorised under section 176 of the Act and complies with the following requirements, namely:—
 - (a) the complaint shall be in writing, signed by the Master or three or more members of the seafarer;
 - (b) the complaint shall specify the respects in which it is alleged that the seafarer accommodation in the ship does not comply with these rules;
 - (c) the complaint shall be lodged without undue delay; and

- (d) the complaint shall be lodged at least 24 hours before the ship is due to sail, unless the ship is in port for less than 24 hours.

11. Prevention of noise and vibration.— (1) The seafarer accommodation, recreational and catering facilities shall be located as far as practicable away from the engines, steering gear rooms, deck winches, ventilation, heating and air-conditioning equipment and other noisy machinery and apparatus.

(2) Acoustic insulation or other appropriate sound-absorbing materials of approved type shall be used in the construction and finishing of bulkheads, deck heads and decks within the sound-producing spaces as well as self-closing noise-isolating doors for machinery spaces.

(3) Engine rooms and other machinery spaces shall be provided, wherever practicable, with sound proof centralised control rooms for engine-room personnel. Working spaces, such as the machine shop, shall be insulated, as far as practicable, from the general engine-room noise and measures should be taken to reduce noise in the operation of machinery.

(4) The limits for noise levels for working and living spaces should be in conformity with the Code on Noise Levels on Board Ships' of the 'International Maritime Organization and of International guidelines on exposure levels, including those in the code of practice entitled 'Ambient factors in the workplace, 2001' of the International Labour Organization, and, where applicable, the specific protection recommended by the International Maritime Organization, and with any subsequent amending and supplementary instruments for acceptable noise levels on board ships. A copy of the applicable instruments in English or the working language of the ship should be carried on board and should be accessible to seafarers.

(5) No accommodation or recreational or catering facilities shall be exposed to excessive vibration in accordance with the standards prescribed by International Maritime Organisation and International Labour Organisation.

12. Galleys, Provision rooms, cold storage, refrigerating equipment.— (1) (a) Every ship shall be provided with a galley for the preparation of food for the seafarer, unless the circumstances are such that no members of the seafarer are required to mess on board.

(b) The galley shall be situated as near as may be to the mess rooms provided for the seafarer and any necessary equipment shall be provided to enable food to be served in the mess rooms under all weather conditions.

(c) There shall be no direct opening between the galley and any sleeping room.

(d) Every galley shall be provided with exhaust fans which will draw off fumes from the cooking appliances therein and discharge the fumes into the open air.

(e) The floor of the galley shall be provided with gutters and with scuppers which shall be led overboard or to an enclosed tank served by mechanically operated suction pump. The position and number of the gutter and scuppers shall be such as will ensure the efficient drainage of the floor.

(f) The cooking appliances in the galley shall be arranged in a manner which shall facilitate the cleaning of the galley.

(g) All cupboards and dressers in the galley shall be made of material which is impervious to dirt and moisture and can easily be kept clean. All metal parts of the cupboards and dressers shall be rustproof. The bottoms of all cupboards and dressers in the galley shall either be flush with the deck or shall be so fitted as to enable the deck space beneath them to be readily accessible for cleaning.

(h) Every galley shall be provided with such equipment as will enable food in sufficient quantity to be properly and readily prepared for the persons whom the galley is intended to serve, and the cooking utensils to be hygienically cleaned.

(i) Every galley shall be provided with one or more cooking appliances with an oven or cooking range of adequate capacity.

(2) Dry Provision Rooms.— (a) In every ship, not being in ship, in which each member of the seafarer makes his own food, one or more store rooms shall be provided for the storage of dry provisions for the seafarer. Such rooms shall be fitted with sufficient shelves, cupboards and bins having regard to the maximum period likely to elapse between successive replenishments of stores and to the maximum number of persons for whom food is to be served.

(b) Every dry provision store room shall be enclosed by bulkheads constructed of steel or other suitable material.

(c) Access to every dry provision store room shall be obtained from a passageway, galley, pantry or another store room, or from a position on an open deck with, in so far as is reasonable and practicable in the circumstances, shall be a protected position.

(d) Every dry provision store room shall be so situated, constructed and ventilated as to avoid deterioration of the stores through heat, draught, condensation or infestation by insects or vermin.

(3) Cold store rooms and Refrigerating Equipment.— (a) In every ship, means shall be provided to store perishable provisions. In ships below 3000 gross tons, refrigerated or box freezers may be located in a dry provision room or galley or any other suitable place close to galley.

(b) Access to every cold store room shall be obtained from a passageway, galley or pantry or from another store room.

SECOND SCHEDULE

[See rule 2(1) (k)]

Trunked Mechanical Ventilation System

1. The trunked mechanical ventilation system referred to in clause (k) of sub-rule (1) of rule 2 of these rules (in this Schedule referred to as “the system”) shall in relation to the spaces specified in the second column of Table I annexed hereto, be capable of the respective standards of performance, specified in the third or fourth column of that Table whichever standard shall be the higher in the circumstances: Provided that nothing in Table I shall be taken to relate to a space specified in the second column of Table II annexed hereto.

2. The system shall, in relation to the spaces specified in the second column of Table II, be capable of the respective standards of performance specified in the third and fourth columns of that Table.

3. If any store room is served by a fan which provides warmed air for any other spaces, the store room shall be provided with ventilation trunking separate from that serving such other space.

4. The clear area of the exhaust openings provided in conjunction with the system shall be sufficient to ensure that the velocity of air at each exhaust opening does not exceed 5.08 metres per second when the system is in operation.

5. The speed of every supply fan forming part of the system shall be capable of being varied.

6. The system shall be quiet in operation.

7. All trunking forming part of the system shall be provided with non-return flaps where such flaps are necessary for the exclusion of effluvia and the preservation of the health of the crew.

8. If the system is designed to circulate heated air as the sole means of heating the seafarer accommodation, the system shall be sub-divided into sections which can be separately controlled to the extent necessary to enable a comfortable temperature to be maintained in all parts of the seafarer accommodation.

Category	Space	Fresh air changes per hour	Volume of fresh air for each person likely to use the room at any one time (m ³ /min)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Spaces other than those in category (C) in deck houses above the upper or shelter deck :-		
	(1) outside rooms (other than rooms adjoining machinery casing)	10	1.42
	(2) inside rooms and rooms adjoining machinery casing	15	1.42
B	Spaces other than those in category (C) in side-to-side superstructures above the upper or shelter deck:		
	(1) outside rooms (other than rooms adjoining machinery casing)	12	1.42
	(2) inside rooms and rooms adjoining machinery casing	15	1.42
C	Mess rooms, smoking rooms and recreation rooms (in each case above the upper or shelter decks):		
	(1) not adjoining machinery casing	15	0.71*
	(2) adjoining machinery casing	18	0.71*
D	Passageways adjoining machinery casings	4	

E	Rooms in between decks (including shelter between decks) of ships propelled by internal combustion machinery		
	(1) Rooms clear of machinery casing	12	1.42
	(2) Rooms abreast of but not adjoining machinery casing	12	1.42
	(3) Rooms adjoining machinery casing (other than mess rooms, smoking rooms and recreation rooms)	15	1.70
	(4) Mess rooms, smoking rooms, and recreation rooms (in each case adjoining machinery casing)	18	0.71
F	Rooms in tween decks (including shelter tween decks) of steamships :-		
	(1) Rooms clear of machinery casing	12	1.42
	(2) Rooms abreast of, but not adjoining machinery casing.	15	1.70
	(3) Rooms immediately above machinery casing or abreast of and adjoining machinery casing (other than mess rooms, smoking rooms and recreation rooms)	18	1.70
	(4) Mess room, smoking rooms and recreation rooms (in each case adjoining machinery casing)	20	0.85**

* whatever the number of persons likely to use the room at one time, the total volume of fresh air per minute shall not be required to be such as would result in more than 20 fresh air changes per hour.

** whatever the number of persons likely to use the room at any one time, the total volume of fresh air per minute shall not be required to be such as would result in more than 24 fresh air changes per hour.

TABLE II

Category	Space	Fresh air change per hour	
		Supply	Exhaust
(1)	(2)	(3)	(4)
G	Galleys	20 ^{(a)(b)}	40 ^(b)
H	Sanitary accommodation, drying rooms and pantries	10	20
J	Wards in permanent hospitals	12 or such greater number as would result in the supply of not less than 1.42 cubic metres of fresh air per minute for each bed in the room.	--
K	Dry provision store rooms	Not less than 10 and not more than 20	--

(a) if at least two sides of the galley are exposed to the weather.

(b) The Central Government may exempt any ship from these requirements to the extent that it is satisfied that compliance therewith is unnecessary by reason of the insulation of the equipment in the galley, or by reason of the size of the galley.

THIRD SCHEDULE

[See Schedule 1, Para 1(11)(a)]

1. Marking for Sleeping Rooms

Certified for (*) seafarer(s)

2. Marking for Spaces other than Sleeping Rooms

Certified for [Chief Officer]/[Master]/[Chief Engineer]/[**]

Certified for (*) officers.

Certified for (*) [ratings]/[petty officer].

(*) There shall here be inserted the maximum number of officers/seafarers who may be accommodated in the room in accordance with these rules .

(**) In the case of a room intended for the sole use of any other officer the rank of that officer shall here be substituted.

FOURTH SCHEDULE

[See Schedule 1, para 3(3)]

ELECTRIC LIGHTING

Definition: "General Measurement Points" means, in relation to any space those points which measured at a height of 850mm above the floor fall on an imaginary line drawn vertically through the following points:-

- every point mid way between every 2 adjacent lamp in that space;
- every point mid way between and lamp and any position on the boundary of that space to which that lamp is nearer than any other lamp; and
- where any part of the space available for free movement is shielded from the direct rays of a lamp by a re-entrant angle formed in the boundary of that space the central point of the space so shielded.

(A) Sleeping Room and Day Room:

(1)	At general measurement points	50 lux
(2)	At every Mirror	200 lux
(3)	At every seat at a writing desk or table	150 lux
(4)	At not less than half the seats (other than those mentioned in (3) above) in a sleeping room provided for use of more than one person	150 lux

(B) Mess Room

(1)	At general measurement points	100 lux
(2)	At every table and sink	150 lux

(C) Recreational Rooms (including for watching films and television hobbies, and games room):

(1)	At general measurement points	50 lux
(2)	At every recreational table	100 lux
(3)	At every seat at a writing desk or table	150 lux
(4)	At not less than half the seats (other than those mentioned in (3) above)	150 lux

(D) Hospital

(1)	At general measurement points	50 lux
(2)	At any wash room	200 lux
(3)	At least one fixed lamp shall be installed in addition to the electric reading lamp required by sub-para(2) of para 3 to be provided at the head of each bed.	150 lux

(E) Offices and Studies

(1)	At general measurement points	100 lux
(2)	At every seat at writing desk or table	200 lux

(F) Sanitary Accommodation (including sanitary accommodation in hospital):

(1)	At general measurement points	50 lux
(2)	At every Mirror	200 lux

(G) Laundries

(1)	At general measurement points	100 lux
-----	-------------------------------	---------

(H) Drying Room:

(1)	At the center of spaces	50 lux
-----	-------------------------	--------

(I) Galley (including bakeries and pantries):

(1)	At working positions The light shall be so disposed as to ensure that shelves and cupboards receive the maximum amount of light	300 lux
-----	--	---------

(J) Dry Provision Store Room and Cold Store Room:

(1)	At general measurement points The light shall be so disposed as to ensure that shelves and cupboards receive the maximum amount of light	100 lux
-----	---	---------

(K) Passage ways companionways and covered deck recreation spaces:

(1)	At general measurement points	50 lux
-----	-------------------------------	--------

A light shall be placed –

- (a) at the head of each stairway, ladder and hatchway, and
- (b) at or near the lockers provided for oilskins or working clothes.

FIFTH SCHEDULE

Certificate of Seafarer Accommodation

[See rule 6]

CERTIFICATE OF SEAFARER ACCOMMODATION

Certificate No.

Issued under the provisions of the

Merchant Shipping (Seafarer Accommodation) Rules, 2016.

Under the authority of the Government of India

Name of Ship	Distinctive Number or Call Sign	IMO Number	Port of Registry	Gross Tonnage	Date of Keel Laid*

Type of Ship :

Area of Operation : Unlimited / Restricted (see Remarks)

This is to certify that the seafarer accommodation and other associated spaces of the above ship has been surveyed in accordance with rule 5 of the Merchant Shipping (Seafarer Accommodation) Rules, 2016, and Maritime Labour Convention 2006, and found that that the ship is in compliance with the provisions of those rules.

The accommodation arrangements are adequate for a maximum ofseafarers, as indicated below.

Master	:	persons
Officer	:	persons
Petty Officers	:	persons
Ratings	:	persons
Total	:	persons

Exemptions granted if any:

REMARKS:

Issued at _____ on the _____
Name and designation of the Issuing Authority

Signature of Issuing Authority
[F. No. SR-23011/2/2015-MG]
ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.